

सुषमा खर्कवाल

महापौर



लखनऊ नगर निगम

लखनऊ

कार्यालय : 0522 - 2622698

मोबाइल : 6389200005

ई-मेल : nnlko@up.nic.in

सन्देश

“आवासीय एवं अनावासीय भवनों का सम्पत्ति कर स्वयं निर्धारित करें” पुस्तिका लखनऊ नगर के नागरिकों को समर्पित करते हुये हमें अपार प्रसन्नता हो रही है। उक्त व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप किसी आवासीय एवं अनावासीय भवन के स्वामी/अध्यासी को अपनी सम्पत्ति पर देय भवन कर निर्धारित कराने नगर निगम आने की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब यह विकल्प सभी नागरिकों को उपलब्ध है कि वे अपने आवासीय एवं अनावासीय भवनों के कर का आंकलन स्वयं कर लें और उसे नगर निगम के सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा कर दें। **स्व-कर निर्धारण की प्रक्रिया** तथा भवन कर जमा करने हेतु जोनवार एवं वार्डवार मासिक किराया दर का स्पष्ट विवरण पुस्तिका में उपलब्ध है। यह पुस्तिका यथासम्भव कर निर्धारण से सम्बन्धित सभी जिज्ञासाओं का समाधान करेगी। लखनऊ शहर के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील है कि वह अपने भवन के सम्बन्ध में सही-सही तथ्यात्मक सूचना आवासीय भवनों के लिए स्व-कर प्रपत्र “क” पर तथा अनावासीय भवनों के लिए स्वकर प्रपत्र-“ग” अंकित करें।

नगर निगम की ओर से नागरिकों को स्व-कर निर्धारण सम्बन्धी अधिकृत सूचनायें संकलित रूप में मिल जाये और ‘कर की गणना’ की जिज्ञासाओं का समाधान हो जाये, ऐसी पुस्तिका “आवासीय एवं अनावासीय भवनों का सम्पत्ति कर स्वयं निर्धारित करें” के प्रकाशन के लिए श्री इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त तथा श्री अशोक सिंह मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सराहना के पात्र हैं।

हमें आशा है कि यह पुस्तिका लखनऊ नगर निगम के क्षेत्र में निवास करने वाले सम्मानित नागरिकों के लिए अत्यन्त उपयोगी होगी।

सुषमा खर्कवाल

महापौर

Blank

भूमिका

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 यथा संशोधित 2002 इस उद्देश्य से लागू किया गया था कि नगर निगम के राजस्व का प्रमुख स्रोत सम्पत्ति कर के निर्धारण में वस्तुनिष्ठ एवं निश्चित मापदण्ड अपनाते हुए पारदर्शिता लायी जा सके। अब तक प्रत्येक भवन स्वामी / अध्यासी के लिए यह विकल्प उपलब्ध था कि वह केवल अपने आवासीय भवन की स्वयं माप कर, वार्डवार निर्धारित प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर के आधार पर भवन कर की गणना करे तथा निर्धारित प्रारूप “प्रपत्र-क” पर इसका ब्यौरा अंकित करके नगर निगम में स्वयं ही भवन कर जमा कर दे। अब उ0प्र0 शासन द्वारा “उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013” इस उद्देश्य से पारित किया गया है कि अनावासीय उपयोग में आने वाले सभी प्रकार के भवन एवं भूमि (वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें, प्रतिष्ठान, बैंक, होटल, कोचिंग, क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथालोजी लैब, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, जिम, थियेटर, सिनेमागृह, छात्रावास, शैक्षणिक संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस ऐजन्सी, डिपो, गोदाम, माल्स, पब्स बार, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, लॉन औद्योगिक इकाइयों सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रप, टावर व होर्डिंग वाले भवन, टी.वी. टावर दूरसंचार टावर इत्यादि) के स्वामी / अध्यासी भी अपने अनावासीय भवनों के आच्छादित क्षेत्रफल (Covered Area), वार्डवार निर्धारित प्रतिवर्ग फिट मासिक किराया दर तथा नियमावली द्वारा निर्धारित मासिक किराया दर के गुणांक (Multiple) के आधार पर “प्रपत्र-ग” पर अपने अनावासीय भवन के वार्षिक मूल्य (Annual Value) तथा उस पर देय सामान्य-कर (गृह-कर), जलकर तथा सीवर कर की गणना स्वयं करते हुए नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। अब नगर निगम द्वारा भवन कर आरोपण केवल उसी दशा में किया जायेगा जब भवन स्वामी स्वकर निर्धारण के विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा अथवा “प्रपत्र - क” / “ग” में गलत सूचनाएं भरकर गलत वार्षिक मूल्य निर्धारित करके करापवंचन करेगा।

आवासीय के साथ-साथ अनावासीय भवनों को भी स्वकर निर्धारण की परिधि में लाने हेतु उ0प्र0 शासन के नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2013, दिनांक 23 जुलाई 2019 एवं 17 जनवरी 2024 को अधिसूचना निर्गत किए जाने के फलस्वरूप स्वकर निर्धारण से समस्त सूचनायें “ आवासीय एवं अनावासीय भवनों का सम्पत्ति कर स्वयं निर्धारित करें” एक पुस्तिका के रूप में संकलित कर प्रकाशित की जा रही है। आशा है कि यह पुस्तिका नागरिकों के लिए आवासीय एवं अनावासीय भवन दोनों का वार्षिक मूल्य स्वयं निर्धारण करने में उपयोगी और सहायक सिद्ध होगी तथा सभी प्रकार के जिज्ञासाओं का समाधान करेगी। यदि ‘स्वकर निर्धारण’ में कोई कठिनाई या जिज्ञासा हो तो उसके निवारण एवं समाधान हेतु नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों एवं नगर निगम मुख्यालय पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी / अपर नगर आयुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है। भवन स्वामियों की सुविधा के लिए गृह-कर ऑन लाइन भुगतान नेट बैंकिंग, A.T.M./ डेबिट व क्रेडिट कार्ड Bharat bill pay system एवं upi के माध्यम से किए जाने का विस्तृत विवरण इस पुस्तिका में अंकित किया गया है। इसी प्रकार नागरिकों की सुविधा के लिए गृहकर, बिजली का बिल इत्यादि जमा किए जाने हेतु शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खोले गए ई-सुविधा केन्द्रों की सूची, भवनों के नामान्तरण (स्पूटेशन) की प्रक्रिया, जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रारम्भ की गयी एकीकृत नियंत्रण प्रणाली तथा शहर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु संचालित की जा रही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पुस्तिका में दी गई हैं, जो नागरिकों के लिए अत्यन्त उपयोगी होगी।

अशोक सिंह मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	पंकज कुमार श्रीवास्तव अपर नगर आयुक्त	इन्द्रजीत सिंह नगर आयुक्त
----------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------



विवरणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका पंचम संस्करण	3
2.	उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 यथा संशोधित 2002	5 - 9
3.	उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013	10 - 14
4.	The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Second Amendment) Rules 2013	15 - 19
5.	उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2019	20 - 21
6.	उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2024	22 - 23
7.	Property Tax self assessment form in respect of Non-residential buildings Form 'C'	24 - 25
8.	Property Tax assessment form in respect of Non-residential buildings Form 'D'	26 - 27
9.	कक्ष (वार्ड) वार निर्धारित मासिक किराया दरों की सूची (1.4.2010 से लागू)	28 - 53
10.	जोन के अन्तर्गत वार्डों की सूची	54
11.	आवासीय भवन एवं अनावासीय भवन के गृहकर (हाउस टैक्स) की गणना कैसे करें	55 - 57
12.	नगर निगम लखनऊ में नेट बैंकिंग तथा डेबिट / ए.टी.एम. कार्ड, क्रेडिट कार्ड Bharat bill pay system एवं upi के द्वारा ऑनलाइन गृहकर भुगतान की प्रक्रिया	58
13.	भवन के नामान्तरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया ऑनलाइन	59
14.	ऑन लाइन एकीकृत नियन्त्रण केन्द्र - जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु एकीकृत व्यवस्था	60
15.	आवासीय भवन के सम्पत्ति कर स्व-निर्धारण प्रपत्र का प्रारूप (प्रपत्र-क)	आवश्यकतानुसार इन प्रपत्रों को इस पुस्तिका से निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है।
16.	आवासीय भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्रफल की सूचना देने हेतु प्रारूप (प्रपत्र-ख)	
17.	अनावासीय भवन के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र का प्रारूप (प्रपत्र-ग)	
18.	अनावासीय भवन के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर निर्धारण प्रपत्र का प्रारूप (प्रपत्र-घ)	

उत्तर प्रदेश सरकार
नगर विकास अनुभाग-9
संख्या : 1435 / 9-9-2000-63-ज / 95-टी.सी.
लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2000
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 174, 207-क, 221-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा-540 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या-1763-नौ-9-1999-63-ज / 95टी.सी. दिनांक 16.6.1999 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 174, 207-क, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 और 221-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000
(प्रथम संशोधन नियमावली 2002)

(नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना सं. यू.ओ. 204 / 9-7-2002-63ज / 95 टी.सी. दिनांक 10 जनवरी, 2003 द्वारा संशोधित उ.प्र. नगर निगम (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन नियमावली 2002)

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ-

1. (1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली (प्रथम संशोधन 2002) कही जायेगी।
(2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों में स्थित भवनों पर लागू होगी।
(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2. इस नियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो,-
 - (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है;
 - (ख) "भवनों का समूह" का तात्पर्य नियम-4 के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है;
 - (ग) "भू समूह" का तात्पर्य नियम-4 के अधीन उल्लिखित भूमि के समूह से है;
 - (घ) "कच्चा भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो पक्का भवन नहीं है;
 - (ङ) "अधिसूचित बैंक" का तात्पर्य के साथ कर की धनराशि को जमा करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है;
 - (च) "सम्पत्ति" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी भवन या भूमि या दोनों से हैं;
 - (छ) "पक्का भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन जिसकी दीवार ईंट या पत्थर या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो, से है;
 - (ज) "स्व-कर निर्धारण" का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस नियमावली के संलग्न प्रपत्र "क" में दाखिल किये जाने वाले स्वतः निर्धारण विवरण से है।
 - (झ) "कारपेट एरिया" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट कारपेट एरिया से है।
 - (ञ) "आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्र से है।
 - (ट) "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 174 के अधीन निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है।
 - (ठ) "मासिक किराया दर" का तात्पर्य नियम 4-ख के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा विहित, यथास्थिति, भवनों या भूमि के कारपेट एरिया के प्रति वर्गफुट से है।

(ङ) “आवासीय भवन” का तात्पर्य उस भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो और उसमें ऐसे भवन भी हैं जिनमें आवासीय उपयोग का प्राविधान हो, किन्तु इसमें व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग के लिए होटल, लाज या किसी अन्य प्रकार के भवन सम्मिलित न होंगे।

3. भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण :

- (1) नगर आयुक्त समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी से इन नियमावली में संलग्न प्रपत्र ‘ख’ में यथास्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
- (2) नगर आयुक्त, सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र ‘ख’ में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।
- (3) जब किसी स्वामी द्वारा स्व-अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाये या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र ‘ख’ में नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापरक होगा।
- (4) जब किसी भवन में निर्माण या पुनर्निर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से, साठ दिन के भीतर यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र ‘ख’ में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापरक होगा।

4. सम्पत्तियों का वर्गीकरण :

- (1) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पत्ति की अवस्थित का वार्ड वार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात् :
 - (क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग;
 - (ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाला मार्ग;
 - (ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग;
- (2) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा-
 - (क) पक्का भवन आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित;
 - (ख) अन्य पक्का भवन; या
 - (ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो कि खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं हैं।
- (3) नगर आयुक्त तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नौ विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलों में तीन विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा :-
- (क) भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होंगे :-
 - (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत सहित पक्का भवन।
 - (दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत सहित पक्का भवन।
 - (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित पक्का भवन, आर.सी.सी. छत सहित।
 - (चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।
 - (पांच) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।
 - (छ:) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(आठ) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामले में निम्नलिखित तीन समूह होंगे :-

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

4-क न्यूनतम मासिक किराए की दर का निर्धारण :

नगर आयुक्त वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार, यथास्थिति, भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया के प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा-

(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर, और

(दो) ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दर:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह भिन्न-भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियाँ रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों को बण्डलवार विनिश्चित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी जन्हें स्वकर निर्धारण के लिए माना जायेगा।

4-ख न्यूनतम मासिक किराये की दर का प्रकाशन:

खण्ड-4क के अधीन आपत्तियों के विनिश्चित किये जाने पर नगर आयुक्त ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में, यथास्थिति, वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया के प्रतिवर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक लागू दर को अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् यह अन्तिम हो जायेगी।

4-ग कर का निर्धारण :-

कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा-

(1) वार्षिक मूल्य की गणना

$$\text{वार्षिक मूल्य} = \text{कारपेट एरिया} \times \text{निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर} \times 12 \\ \text{या}$$

आच्छादित क्षेत्रफल \times निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर $\times 12 \times 80\%$

(2) **देय कर :-** अधिनियम की धारा 148 के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर कर देय होंगे।

(3) **छूट :-** अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार वार्षिक मूल्यांकन तथा देयकर में छूट अनुमन्य होगी।

(4) **स्वनिर्धारण :-** आवासीय भवन के विषय में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या

अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और नियम 4-ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए और नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस पर नियमावली के प्रपत्र-क में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित बैंक में नियम 3 (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र 'क' और चालान के साथ कर जमा करेगा।

- (5) **स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध :-** उननियम (4) के अधीन नियत दिनांक तक स्वनिर्धारण द्वारा सम्पत्ति कराने के दायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये, से अधिक नहीं होगी।

5. कर निर्धारण सूची :-

- (1) सभी भवनों या भूखण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर-गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी :-
- (क) भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र क और ख पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर,
- या
- (ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र क या ख में सूचनायें न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर,
- (ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :-
- (एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम;
- (दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट द्वारा, जो पहचान के लिए पर्याप्त हो, सम्पत्ति का अभिधान;
- (तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम;
- (चार) भवन या भूमि के समूह के लिए कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्गफुट किराये की न्यूनतम मासिक दर;
- (पांच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों;
- (छ:) (चार) भवन निर्माण का वर्ष;
- (सात) भवन निर्माण की प्रकृति;
- (2) **स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची:-** ऐसे सभी आवासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र क पर समय से स्वनिर्धारित कर जमा करा दिया गया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम 5-क के प्राविधान ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जाँच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में विशिष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

5-क सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति :-

- (1) जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग की कर निर्धारण सूची तैयार हो जाये तब नगर आयुक्त उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहाँ उक्त सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा, नगर में परिचालन वाले दो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायेगा।
- (2) भवन के कारपेट एरिया, आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों तथा छूट आदि के सम्बन्ध में नगर आयुक्त को सम्बोधित सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप में भेजी जायेगी। किराये की मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (3) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आपत्ति कर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

6. करों का भुगतान :-

नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी नियम 4, 4-ग और 5 के अधीन निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान हेतु स्वामी या अध्यासी को बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, जब तक नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित बैंक या नगर निगम के कार्यालय में कर का भुगतान किया जायेगा। यदि नियत दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 221-के अनुसार ब्याज देय होगा।

परन्तु यदि सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वकर निर्धारण किया गया है तो कर का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्धारित तिथि तक किया जायेगा।

7. कर का स्वनिर्धारण :-

किसी आवासिक भवन के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।

8. शास्ति

- (1) नगर आयुक्त यथास्थिति, भवन या भूमि के प्रस्तुत कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफलों के विवरण या स्वकर निर्धारण के विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत विवरणों की यदा-कदा जांच करायेगा और भवन के कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाने या दरों आदि का त्रुटिपूर्ण विवरण देने की दशा में यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को इस आशय का दो सप्ताह का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने अथवा सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण विवरण से सम्पत्ति कर की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने से अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जाये।
- (2) यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जाँच, जैसी आवश्यक समझी जाये करने के पश्चात नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी जो नोटिस के अनुसार देय शास्ति से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है और सम्पत्ति कर की धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।
- (3) नियम-3 के उपनियम (1) और (3) के अधीन नियत समय के भीतर अपेक्षित विवरण न प्रस्तुत किये जाने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो प्रश्नगत भूखण्ड के क्षेत्रफल, 50 वर्ग मी. तक, 200 वर्ग मी. तक, 400 वर्ग मी. तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः 100.00 रुपये, 1000.00 रुपये, 5000.00 रुपये तथा 15000.00 रुपये हो सकती है परन्तु 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में, शास्ति का 5 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा।

नियत समय के भीतर विवरण प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में, नियम- 5 के अधीन कर निर्धारण सूची तैयार करते समय नियम 4-के अधीन प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल दर का उपयोग भी शास्ति के अतिरिक्त किया जायेगा।

- (4) किसी व्यक्ति द्वारा नियम 3 के उपनियम (4) का उल्लंघन करने की दशा में, सम्पत्ति कर की दुगनी धनराशि अथवा प्रतिदिन 500 रुपये की दर से, जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा।

9. शास्ति का प्रशमन :-

नियम 8 के उपनियम (1), (3) और (4) के अधीन शास्तियों का प्रशमन नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शास्ति की अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनाधिक धनराशि पर किया जा सकेगा।

(प्रपत्र “क” तथा “ख” पुस्तिका के अन्त में संलग्न हैं)

उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9
संख्या-1463 / 9-9-2010-85ज / 2005 टी.सी.
लखनऊः दिनांक 27 दिसम्बर, 2013
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 174, 207-क, 207-ख, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, और 221-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित जारी सरकारी अधिसूचना संख्या 1231 / 9-9-2010-85ज / 2009 टी.सी. दिनांक 08 जून, 2010 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 कही जायेगी।
- (2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों पर लागू होगी।
- (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम -2 का संशोधन

(2) उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम - 2 में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्-

(घ-1) “अनावासिक भवन” का तात्पर्य ऐसे किसी भवन या स्थान या भवन या उसके भाग से है जो अनावासिक हो और जो उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन आच्छादित हो।

नियम -3

किसी भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण-

- (1) नगर आयुक्त समाचार-पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र “ख” और प्रपत्र “घ” में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्र और अनावासिक भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
- (2) नगर आयुक्त सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सविधा के लिए प्रपत्र “ख” और “घ” में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।
- (3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व-अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाए या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र “ख” और “घ” में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।
- (4) जब किसी भवन में निर्माण या पुनर्निर्माण के फलस्वरूप, आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से, साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र “ख” और “घ” में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

नियम -4

(4) सम्पत्ति का वर्गीकरण-

- (1) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात्
 - (क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग,
 - (ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक का चौड़ाई वाला मार्ग,

- (ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग,
- (2) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा-
- (क) पक्का भवन आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित,
- (ख) कोई अन्य पक्का, या
- (ग) कच्चा भवन अर्थात्, समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं हैं।
- (3) नगर आयुक्त तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नौ विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलों में तीन विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा-
- (क) भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होंगे-
- (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन।
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन।
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन।
- (चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।
- (पाँच) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।
- (छ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।
- (सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (आठ) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।
- (ख) भूमि के मामले में निम्नलिखित तीन समूह होंगे,
- (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थिति भूमि।
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

नियम-4-क

4-क-न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण -

(1) नगर आयुक्त वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर की गणना करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आवासिक भवन के रूप में दर नियत करेगा-

(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर, और

(दो) ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर-

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह भिन्न-भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियाँ रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चय किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- (1) कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए कारपेट एरिया की

दरें आच्छादित एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी, जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिए माना जायेगा।

(2) अनावासिक भवनों और भूमि की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उप नियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है-

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1.	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग, और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का पाँच गुना
2.	प्रत्येक प्रकार के कलीनिक, पालीकलीनिक, डायग्नोस्टिक, केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंगहोम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
3.	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का दो गुना
4.	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम की धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान
5.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
6.	माल्स, पर्यटन विभाग से अरजिस्ट्रीकृत होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का छः गुना जारी अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी 2024 के अनुसार
7.	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी प्रकार के भवन	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
8.	औद्योगिक इकाइयाँ, स्टार श्रेणी के होटल एवं रिसार्ट्स एवं पात्र पर्यटन इकाईयाँ जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रीकृत हो सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना जारी अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी 2024 के अनुसार
9.	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी.वी.टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिरक्षित किये जाते हैं।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का चार गुना
10.	आवासीय क्षेत्र में चाय, दूध ब्रेड, अण्डे, पान, धोबी / लाण्ड्री, फलों एवं सब्जियों फोटोस्टेट, नाई / हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकान के रूप में प्रयोग की जा रही अधिकतम 120 वर्ग फीट की दुकानें।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का डेढ़ गुना 23 जुलाई 2019 के अनुसार
11.	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना

नियम 4 ग

4-ग- कर निर्धारण- कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा-

(1)(क) (एक) आवासिक भवन के वार्षिक मूल्य की गणना-कारपेट एरिया \times निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर $\times 12$

या

आच्छादित क्षेत्रफल \times निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर $\times 12 \times 80$ प्रतिशत।

(दो) आवासिक भूमि की वार्षिक मूल्य की गणना-

भूमि का क्षेत्रफल \times निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया $\times 12$

(ख) (एक) अनावासिक भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना-

आच्छादित क्षेत्रफल \times आवासिक भवन की दर के संबंध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर $\times 12$

(दो) अनावासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना-

भूमि का क्षेत्रफल \times आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर $\times 12$

(2) संदेय कर- अधिनियम की धारा 148 के अधीन नियत दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर कर संदेय होंगे।

(3) छूट- आवासिक भवनों के वार्षिक मूल्य में छूट अनुमन्य होगी और अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार कर संदेय होंगे।

(4) स्वनिर्धारण-भवन के विषय में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और नियम 4-ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए और नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस नियमावली के यथास्थिति प्रपत्र 'क' या प्रपत्र 'ग' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित बैंक में नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक यथास्थिति प्रपत्र 'क' या 'ग' और चालान के साथ कर जमा करेगा।

(5) स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध- उपनियम(4) के अधीन नियत दिनांक तक स्वनिर्धारण द्वारा सम्पत्ति करो के दायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये, से अधिक नहीं होगी।

(6) प्रोत्साहन- अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को यथास्थिति, भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में छूट प्रदान करते हुए निम्नलिखित रीति से प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) दिया जा सकेगा :

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भूगर्भ जल संभरण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचलन में हो या कम से कम क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत भाग वृक्षारोपण या हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुचित या पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या व्यापार या विनिर्माण या ऐसे अन्य क्रियाकलापों में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो परन्तु प्रदूषणरोधी उपाय अपनाये गये हों, वार्षिक मूल्य में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए प्रत्येक को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा :

परन्तु यह कि उपर्युक्त छूट इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रखरखाव का सत्यापन करते हुए वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान की जायेगी।

- (ख) खण्ड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य में 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी, यदि इस भवन में खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय न उपलब्ध कराये गये हों।

नियम 5- कर निर्धारण सूची-

- (1) सभी भवनों या भूखण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी-
 - (क) भवन और भूमि के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर या
 - (ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथास्थिति 'क' या 'ख' या 'ग' या 'घ' में सूचनायें न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर,
 - (ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-
 - (एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम,
 - (दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हो सम्पत्ति का अभिधान,
 - (तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए की यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम,
 - (चार) भवन या भूमि के समूह के लिए कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर,
 - (पाँच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,
 - (छ:) भवन निर्माण का वर्ष,
 - (सात) भवन निर्माण की प्रकृति,
- (2) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची- ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'क' पर और अनावासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'ग' पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा करा दिया गया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम-5-के उपबन्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जाँच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

नियम- 7 स्वकर निर्धारण- किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।

नये प्रपत्र 'ग' और 'घ' का बढ़ाया जाना

9- उक्त नियमावली में प्रपत्र 'ख' के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

प्रपत्र 'ग' एवं प्रपत्र 'घ' (पुस्तिका के अन्त में संलग्न हैं)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1463/IX-9-2013-85J-05T.C., dated December 27, 2013 for general information:

No. 1463/IX-9-2013-85J-05T.C.,

Dated Lucknow, December 27, 2013

In exercise of the powers under section 174, 207-A, 207-B, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 and 221-B of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act. 1959 (U.P. Act No. 2 of 1959), the Governor after considering the objections and suggestions received in pursuance of Government notification No. 1231/IX-9-2010-85J-2009T.C., dated June 08, 2010 issued as required under sub-section (2) of section 540 of the said Act is please to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2013

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Second Amendment) Rules, 2013. | Short title,
application and
commencement |
| (2) They shall be applicable to all the Municipal Corporations in Uttar Pradesh. | Amendment of
Rule - 2 |
| (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette. | |
| 2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules 2000, hereinafter referred to as the said rules, in rule 2 after clause (d), the following clause shall be <i>inserted</i> , namely- | |

(d-1) "**Non residential building**" means any building or space or land or house or part thereof which is not residential and which is covered under clause (1) of sub-section (a) of section 174 of the Act.

3. Statement of carpet and other area of a building or the plot of the land-

- (1) The Municipal Commissioner shall publish in the newspapers a notice requiring the owners or occupiers primarily liable for payment of property taxes, to furnish every four years a statement, in Form 'B' and Form 'D' appended to these rules, in respect of the carpet and other area of a residential building, or the plot of the land and covered area of non residential building or area of land, as the case may be, by the date fixed in the said notice for the purpose of tax assessment.
- (2) Municipal Commissioner may, for the convenience of the owner or occupier of the property, fix different places for different wards of the city for the submission of statement in Form 'B' and From 'D'
- (3) Whenever owner occupied or vacant building is given on rent or vice-versa, then within sixty days of it, it shall be mandatory for the owner to submit a fresh statement in Form 'B' and Form 'D'.
- (4) Whenever due to construction or reconstruction or any addition is done 25 per cent or more in the covered area of building or area of the land or both then within sixty days of completion or occupation, it shall be mandatory for the owner or occupier, as the case may be to submit a fresh statement in Form 'B' and Form 'D'.

4- Classification of Property-

- (1) Municipal Commissioner shall classify the **location of property** falling within the provisions of section 174 of the Act, wardwise and thereafter within each ward, it shall be

classified basing on the situation of property on **three different types of roads**, namely-

- (a) Roads having a width of more than 24 metres,
- (b) Roads having a width of 12 metres to 24 metres.
- (c) Roads having a width less than 12 metres.

(2) Municipal Commissioner shall classify the **nature of construction** of buildings falling, within the provisions of section 174 of the Act, on the following basis-

- (a) pakka building with R.C.C. roof or R.B. Roof;
- (b) anyother pakka building; or
- (c) Kachcha building that is all other building not covered in clauses (a) and (b).

(3) Municipal Commissioner shall accordingly arrange all **buildings** in a ward in maximum number of **nine different groups** and in case of all vacant plots of land, in maximum number of three different groups as shown below-

(a) in case of building, the nine groups shall be as follows-

- (i) pakka building with R.C.C. roof or R.B. roof situated on a road having a width of more than 24 metres,
- (ii) pakka building with R.C.C. roof or R.B. roof situated on a road having a width of 12 meters to 24 metres,
- (iii) pakka building with R.C.C. roof or R.B. roof situated on a road having a width less than 12 metres,
- (iv) other pakka building situated on a road having a width of more than 24 metres,
- (v) other pakka building situated on a road having a width of 12 meters to 24 metres,
- (vi) other pakka building situated on a road having a width less than 12 metres.
- (vii) kachcha building situated on a road having a width of more than 24 metres.
- (viii) kachcha building situated on a road having a width of 12 metres to 24 metres,
- (ix) kachcha building situated on a road having a width less than 12 metres.

(b) In case of land, the **three groups** will be as follows-

- (i) Land situated on a road having a width of more than 24 metres,
- (ii) Land situated on a road having a width of 12 metres to 24 metres,
- (iii) Land situated on a road having a width less than 12 metres.

4-A Fixation of minimum monthly rate of rent-

(1) The Municipal Commissioner shall once in every two years workout the minimum monthly rate of rent per unit area (square foot) of the carpet area for every group of building within a ward or the applicable minimum monthly rate of rent per unit area (square foot) of the area for every group of land as the case may be and fix the rate as residential building having regard to-

- (i) the circle rate fixed by the Collector for purposes of the Indian Stamp Act, 1899; and
- (ii) the current minimum rate of rent in the area for such building or land,

Provided that before fixing such monthly rate of rent, the Municipal Commissioner shall notify such proposed rates in two daily newspapers having circulation in such city and thereafter provide a minimum fifteen days time for filing objections by interested persons. All such objections shall be heard wardwise after grouping the objections received in maximum number of 12 different bunches. Each bunch shall contain the objections received from one group of building or one group of land as the case may be. All objection shall be disposed of by the Municipal Commissioner himself or officer authorised by Municipal Commissioner in this behalf after giving the opportunity of being heard to at least ten per cent of the total number of objection. It shall not be necessary to hear personally all

the objectors or the interested persons. The objections may be decided in bunches.

Explanation- (1) Keeping in view of difficulties in fixation of carpet areas, the rate of the carpet area would be 80% of covered area for purposes of self-assessment.

(2) In the case of non residential buildings and the land the monthly rate of rent per unit area of covered area and the land shall be multiple of the monthly rate of rent fixed under sub rule (1) as mentioned in the schedule below :-

SCHEDULE

Category	Details of Property	Rate of monthly rent of non residential building
1.	Every type of commercial complexes, shops and other establishments, banks, offices, hotels, hotels upto three stars, private hotels coaching and training institutes (except state Government aided)	Five times of the rate fixed under sub rule (1)
2.	Every type of clinics, polyclinics, diagnostic centres, laboratories, nursing homes, hospitals, medical stores, health care centres etc.	Three times of the rate fixed under sub Rule (1)
3.	Sports centres as gym, physical health centres, etc. and theaters and cinema houses.	Two times of the rate fixed under sub rule (1)
4.	Hostels, educational institutes which are not overed under clause (c) of section 177 of the Act.	Same as fixed under sub rule (1)
5.	Petrol pumps, gas agencies, depots and godowns etc.	Three times of the rate fixed under sub rule (1)
6.	Malls, Hotels not registered with Tourism Department, pubs, bars, lodging house where wine is served with food.	Six Times of the rate fixed under sub rule (1)
7.	Community halls, kalyan mandaps, marriage houses. clubs and same types of buildings.	Three times of the rate fixed under sub rule (1)
8.	Industrial units, star category Hotels and resorts, and eligible tourism units registered with, Uttar pradesh tourism Department offices of Government Semi Government and public undertakings.	Three times of the rate fixed under sub rule (1)
9.	Building having towers and hoarding, T.V. towers, telecom towers or any other tower which are installed either on the surface or on the top of the buildings or on the openspace.	Four times of the rate fixed under sub rule (1)
10.	In Residential region shops having maximum which are not mentioned in above categories. area of 120 square feet, being used as Tea, Milk Bread, Eggs, Paan, Washerman/ Laundry, fruits and Vegetables, Photostate, Harbar/Hair Dresser and Tailoring Shop.	1.5 times of the rate fixed under sub rule (1)
11.	Other types of non residential houses which are not mentioned in above categories.	Three times of the rate fixed under sub rule (1)

4-C Tax Assessment - The assessment of tax shall be made on the basis mentioned here under -

- (1) (a) (i) Calculation of Annual Value of **residential building**- Carpet area X fixed per unit area monthly rate of rent X 12 or
Covered area X fixed per unit area monthly rate of rent X 12X80%
(ii) Calculation of Annual Value of **residential land**-
Area of land X fixed per unit area monthly rate of rent X 12
- (b) (I) Calculation of Annual Value of **non residential buildings**-
covered area x monthly rate of rent per unit area fixed on the basis of the multiplier in relation with the rate of residential buildingX12
(ii) calculation of annual value of **non residential lands**-
Area of land X monthly rate of rent per unit area fixed on the basis of the multiplier in relation with the rate of residential buildingX12
- (2) **Payable tax**- Taxes would be payable in accordance with the rates fixed under Section 148 of the Act on the basis of annual value.
- (3) **Rebates**- rebates shall be admissible in annual value of residential buildings and taxes shall be payable in accordance with the provisions prescribed in the Act.
- (4) **Self-Assessment**- The person who holds the primary liability of paying the property tax of building or other liable person shall deposit the tax fixing in accordance with the provisions of Rule 4 and Rule 4-C and giving the details of the property in Form 'A' or Form 'C', as the case may be, of the rules in place of returns required in Rule 3 in the Banks prescribed by Municipal Commissioner up to the date fixed under sub rule (1) of rule 3 with From 'A' or Form 'C', as the case may be, and challan.
- (5) **Special provisions in Self-Assessment**- The pay liability of property taxes by self-assessment up to the fixed date under sub-rule(4) shall not be more than previous year to the extent as may be prescribed by the Government from time to time.
- (6) **Incentive**- Incentive to the owners or occupiers of non residential buildings may be provided by giving rebates in the annual value of the building or land as the case may be in the following manner;
 - (a) Building in which the system of rain water harvesting or ground water recharging is installed and operational provided or at least 40% of the area is covered by the plantation and greenery or proper and adequate parking lots are available or if engaged in trade or manufacture or any activity which causes pollution, but effective anti pollution measure have been adopted, shall be provided incentive to each by giving rebate of 2% in its annual value.
Provided that the above rebates shall be granted on year to year basis after verifying the existence and proper up keep of the facilities and measures mentioned under this clause,
 - (b) Annual value of such building as mentioned in Clause (a) shall be increased by 2% if this building does not provide measure mentioned in Clause (a).
- 5- Assessment list**- (1) The assessment list in respect of all the buildings or the plots or both shall be prepared after calculating the tax on the basis of:-
 - (a) details submitted in Form 'A', Form 'B', Form 'C' and Form 'D' by the owners or occupiers of the buildings and the lands; or

- (b) information collected by the Municipal Commissioner or and officer authorised by him in this behalf where information in Form 'A' or Form 'B' or Form 'C' or Form 'D', as the case may be, are not submitted within the fixed time;
- (C) The assessment list shall contain-
- (i) name of road and mohallah in which property situates.
 - (ii) Designation of the property by name, by number or by any other specification sufficient for identification.
 - (iii) Name of the owner; whether it is owner-occupied or on rent. If on rent, the name of the tenant.
 - (iv) the carpet area base and covered area base, the minimum monthly rate of rent per square foot for the group of the building or land.
 - (v) Carpet area or covered area of the building or the area of the land or both.
 - (vi) Year of construction of building.
 - (vii) nature of construction of the building.

2. List regarding self-assessment- The residential buildings for which self-assessed taxes with Form 'A' and the non residential building for which self assessed taxes with Form 'C' have been submitted within prescribed period shall be entered in assessment list prepared in sub-rule (1) but the provisions of Rule 5-A shall not be applicable on such building.

Provided that on the basis of any complaint or enquiry, if any detail is found incorrect, the details entered in the list and tax assessment therein shall be revised and penalty shall be imposed after show cause notice.

7. Self-Assessment of tax- The owner or occupier primarily liable for payment of tax in respect of a building or land or both may himself determine the property tax in accordance with the provisions of the Act and deposit the property tax so assessed by him in the notified bank together with a statement of self- assessment.

9. In the said rule, after Form 'B' the following Forms shall be inserted :- Form 'C' and 'D' (for non residential buildings.)

**उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, असाधारण
विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) परिनियत आदेश
लखनऊ, मंगलवार, 23 जुलाई, 2019, श्रावण 1, 1941 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-9
संख्या-1302 / 9-9-2019-85 ज-05 टी.सी.
लखनऊ, 23 जुलाई, 2019**

अधिसूचना

प0आ0 -198 चूंकि उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 540 की अपेक्षानुसार आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिये सरकारी अधिसूचना संख्या 762/ नौ-9-2018-85ज-05टी0सी0, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 प्रकाशित की गयी थी; और चूंकि कोई आपित्त या सुझाव नियत समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है; अतएव अब, उक्त अधिनियम की धारा 174, 207क, 207ख, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 और 221ख के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019

1. (1) यह नियमावली उत्तरप्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी। (संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ)

(2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों के लिये लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में नियम 4-क में, उपनियम (2) में, अनुसूची में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी क्रम सं0-1 की प्रविष्ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी अर्थात्- (नियम 4-क का संशोधन)

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट 23 जुलाई 2019

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रविष्टि)		स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियाँ)	
सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवनों की मासिक किराये की दर
प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, दुकाने और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक, कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त के सिवाय)।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का पाँच गुना।	1. प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, बाजारों में स्थित दुकानें, टेण्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्रियों की दुकानें और बैंक, बैंक ए.टी.एम., वित्तीय कम्पनियाँ तथा गैर सरकारी कोचिंग सेण्टर	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का पाँच गुना।
		2. आवासिक क्षेत्र में चाय, दूध, ब्रेड, अण्डों, पान, धोबी/लाण्ड्री, फलों और सब्जियों, फोटोस्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकानों के रूप में प्रयोग की जा रही अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानें।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का डेढ़ गुना।

आज्ञा से मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1302/IX-9-2019-85J-05 T.C. dated July 23, 2019

No. 1302/IX-9-2019-85J-05 T.C. Dated Lucknow, July 23, 2019

Whereas Government Notification No. 762/IX-9-2018-85J/05T.C. dated September 26, 2018 was published to invite objections and suggestion as required under section 540 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) hereinafter referred to as the said Act with regard to the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Third Amendment) Rules, 2018 and Whereas no objections or suggestion has been received within the stipulated time,

Now, therefore, in exercise of the powers under sections 174, 207A, 207B, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 and 221B of the said Act the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX)

(THIRD AMENDMENT) RULES, 2019

1- (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Third Amendment) Rules, 2019 (*Short title, extent and commencement*)

(2) They shall be applicable to all the Municipal Corporations in Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2- In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000, in rule 4-A, in sub-rule(2), in the Schedule for the entry at serial No. 1 set out in column-1 below, the entries set out in Column-2 shall be substituted namely ; (*Amendment of Rule 4-A*)

Column-1 Existing entry		Column-1 Entry as hereby substituted	
Details of property	Rate of monthly rent of non residential buildings	Details of property	Rate of monthly rent of non residential buildings
1. Every type of commercial complexes, shops and other establishments, banks, offices, hotels, hotels upto three star, private hotels, coaching and training institutes (except State Government aided)	Five Times of the rate fixed under sub-rule (1)	1. Every type of commercial complexes, shops in markets, tent house, building materials shops, and banks, bank A.T.Ms. finance Companies and Non-Government Coaching Centres.	Five Times of the rate fixe under sub-rule (1)
		(ii) In Residential region shops having maximum area of 120 square feet, being used as Tea, Milk, Bread, Eggs, Paan, Washerman/Laundry, fruits and vagetables, Photostate, Barbar/Hair Dresser and tailoring Shop.	1.5 times of the rate fixed under sub-rule (1)

By order,
Manoj Kumar Singh
Pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9
संख्या-108 / नौ-9-2024-42ज / 23, लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी, 2024
अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023 को बनाने का प्रस्ताव करती है, उसके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सरकारी अधिसूचना संख्या-1131 / नौ-9-2023-42ज / 2023 दिनांक 30 जून, 2023 द्वारा पूर्वोक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सात दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जाने के लिए प्रकाशित की गयी थी,

और चूंकि पूर्वोक्त अधिसूचना संख्या-1131 / नौ-9-2023-42ज / 2023, दिनांक 30 जून 2023 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1648 / नौ-9-2023-42ज / 2023 दिनांक 15 सितम्बर, 2023 द्वारा विचार किया गया। अतएव अब, उक्त अधिनियम की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश, नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनती है अर्थात्

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (2) यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों के लिये लागू होगी। (3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम-4क का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में नियम 4 के उपनियम (2) की अनुसूची में

(एक) नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी क्रम संख्या 6 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेगी अर्थात्

स्तम्भ - एक (विद्यमान प्रविष्टि)			स्तम्भ - दो (एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि)		
श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की किराए की दर	श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर
6.	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल पब्स, बार वास गृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 6 गुना	6.	माल्स, पर्यटन विभाग से अरजिस्ट्रीकृत होटल पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा परोसी जाती है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 6 गुना

(दो) नीचे स्तम्भ - एक में दी गयी क्रम संख्या 8 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ -दो में दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी अर्थात्

स्तम्भ - एक (विद्यमान प्रविष्टि)			स्तम्भ - दो (एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि)		
श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की किराए की दर	श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर
8.	ओद्योगिक इकाइयाँ सरकारी अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 3 गुना	8.	ओद्योगिक इकाइयाँ स्टार श्रेणी के होटल एवं रिसार्ट्स एवं पात्र पर्यटन इकाईयाँ जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रीकृत हो सरकारी अर्द्ध सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 3 गुना

आज्ञा से
(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 108/IX-9-2024-42J-2023, dated January 17, 2024.

No.108/IX-9-2024-42J-2023, Dated Lucknow, January 17, 2024

Whereas the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023 which the Governor propose to make in exercise of the powers under section 174, 207, 207A and 227 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) (hereinafter referred to as the "said Act") read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) was published, as required under sub-section (2) of section 540 of the said Act, vide Government notification no. 1131/IX-9-2023-42J-2023, dated 30th June, 2023 inviting objections and suggestions in respect thereof within seven days from the date of publication of the aforesaid notification in the Gazette,

And Whereas, objection and suggestion received in pursuance of the aforesaid notification No. 1131/IX-9-2023-42J-2023, Dated 30th June, 2023, were considered vide office memorandum no. 1648/IX-9-2023-42J-2023, dated 15th September, 2023.

Now, Therefore, in exercise of the powers under sections 174, 207, 207A and 227 of the said Act, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000, namely :-

**THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX)
(FOURTH AMENDMENT) RULES, 2023**

1. (1) These rules may be called the Uttar Praesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023. (*Short title, extent and commencement*)

(2) They shall be applicable to all Municipapl Corporation of the state of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000 in the schedule to sub-rule(2) of rule 4-A - (*Amendment of rule 4-A*)

(i) for the existing entries at serial no. 6 set out in column-I below, the entries as set out in Column-II shall be substituted, namely :

COLUMN-I (Existing entry)			COLUMN-II (Entry as hereby substituted)		
Category	Details of Property	Rate of Monthly rent of non residential building	Category	Details of Property	Rate of Monthly rent of non residential building
6.	Malls, Hotels of four stars and above, pubs, bars, lodging house where wine is served with food.	Six time of the rate fixed under sub rule (1)	6.	Malls, Hotels not registered with Tourism Department pubs, bars, lodging house where wine is served with food.	Six time of the rate fixed under sub rule (1)

(ii) for the existing entries at serial no. 8 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be substituted, namely :

COLUMN-1 (Existing entry)			COLUMN-II (Entry as hereby substituted)		
Category	Details of Property	Rate of Monthly rent of non residential building	Category	Details of Property	Rate of Monthly rent of non residential building
8.	Industrial units, offices of Govt. Semi Government and public undertakings.	Three times of the rate fixed under sub rule (I)	8.	Industrial units, star category Hotels and resorts, and eligible tourism units registered with Uttar Pradesh Tourism Department, offices of Government Semi Government and public undertakings.	Three time of the rate fixed under sub rule (1)

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.



Nagar Nigam, Lucknow

Form 'C' (See rule -7)

Property Tax self assessment form in respect of Non-residential buildings

1. Details of owner/occupier-

- (i) Name of owner/occupier.....
- (ii) Father's/Husband's name of owner/occupier-
- (iii) **Building/ House / Plot No. and locational address:**
House/Plot No.Name of street
Name of Mohalla.....Name of ward
- (iv) Address of the residence of owner/occupier (if different from above).....
- (v) Other details, if any
- (vi) If a building or land is on rent, mention the name of the tenant.....

2. Details of building or land-

- (i) Covered area of the building (In square foot).....
- (ii) Area of open land or plot (in square foot)
- (iii) **Popular name of Non residential building:**
Establishment /Office / Institute.....

3. Details of location-

(a) Building or land is located-

- (i) On road having a width more than 24 metres
- (ii) On road having a width of 12 metres to 24 metres
- (iii) On road having a width less than 12 metres

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

(b) Nature of construction of building-

- (i) Pucca building with R.C.C. roof or R.B. roof
- (ii) Other pucca building, asbestos, fibre or tin shed
- (iii) Katcha Building i.e. all other buildings not covered in (i) and (ii)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Note - Please tick (✓) in the box applicable.

4. Year of construction of building.....

5. Previous assessed Annual Value and years of the assessment.....

6. Calculation of Non residential Annual Value-

Usage/Description of Non Residential Building.....

(a) Annual Value of building

- (i) Monthly rate of rent fixed for residential building byper sq. foot
Municipal Commissioner
- (ii) Multiplier in relation with the rate of residential buildingtimes
prescribed by rules based on usage of Non-residential building
- (iii) Monthly rate of rent achieved for the Non residential building {(i)x(ii)}.....per sq. foot
- (iv) Covered area of building (Including all floors)sq. foot
- (v) Annual Value of building= monthly rate of rent x
Covered area x 12 or {(iii) x (iv) x 12}
or Annual value of building= (i) x (ii) x (iv) x 12

(b) Annual Value of land

- (i) Monthly rate of rent fixed for residential land byper sq. foot
Municipal Commissioner
- (ii) Multiplier in relation with the rate of residential buildingtimes
prescribed by rules based on usage of land

- (iii) Monthly rate of rent achieved for the land {(i) x (ii)} per sq. foot
 (iv) Area of land sq. foot
 (v) Annual Value of land=Monthly rate of rent x Covered area x 12 or {(iii) x (iv) x 12}

(c) Total Annual Value = Annual value of building+Annual value of land or a (v)+b(v).....

(d) Incentive (Rule 4 - C (6)

For rebate of 2% in annual Value of the Non-residential building provide following information-

- (i) In building whether the system of rain water harvesting or ground water recharging is installed and operational. (Yes / No)
 (ii) Whether at least 40% of the total area is covered by the plantation and greenery (Yes / No)
 (iii) Whether proper and adequate parking lots are available (Yes/No)
 (iv) Whether engaged in trade or manufacture or any activity which causes pollution (Yes / No)
 (v) If information of point (iv) is 'Yes' then whether effective anti pollution measure have been adopted (Yes / No)

Note: (1) Provided that the above rebates shall be granted on year to year basis after verifying the existence and proper upkeep of the facilities and measure mentioned in this clause

(2) Annual Value of such building as mentioned in clause (d) Shall be increased by 2% if the building does not provide measure mentioned in clause (d) i.e. rain water harvesting or ground water recharging/ adequate plantation and greenery/ proper and adequate parking lot/effective anti- pollution measures adopted.

7. Calculation of Tax-

- | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| (i) General Tax - | 15% of the Annual value |
| (House Tax) | |
| (ii) Water Tax - | 12.5% of the Annual Value |
| (iii) Sewer Tax - | 3% of the Annual Value |
| (iv) Other Taxes - | Annual Value as assessed X Rate of the Tax
(Name of Tax) |

8. Details of Tax deposited-

S.N.	Name of Tax	Amount of Tax	Receipt No.	Date	Name of zonal office
1	2	3	4	5	6
	General Tax				

• Number of four wheelers parked on public Road/ Footpath outside his building by owner/occupier.....

VERIFICATION

I, , who is the owner/occupier of House No. situated in Mohalla of the Ward , do hereby declare that the particulars furnished in this Form are correct and complete to the best of my knowledge and belief. Any detail therein had neither been concealed nor mentioned false.

Date.....

Signature.....

Witness.....

Name

Signature.....

Address.....

Name.....

Pin Code

Father's Name.....

Phone/Mobile.....

Address.....

e-mail



Nagar Nigam, Lucknow

Form 'D' (See rule-3)
**Property Tax assessment form in
respect of Non-residential buildings**

1. Details of owner/occupier-

- (i) Name of owner/occupier.....
- (ii) Father's/Husband's name of owner/occupier-
- (iii) **Building/ House / Plot No. and locational address:**
House/Plot No.Name of street
Name of Mohalla.....Name of ward
- (iv) Address of the residence of owner/occupier (if different from above).....
- (v) Other details, if any
- (vi) If a building or land is on rent, mention the name of the tenant.....

2. Details of building or land-

- (i) Covered area of the building (In square foot)
- (ii) Area of open land or plot (in square foot)
- (iii) Other details, if any

3. Details of location-

(a) Building or land is located-

- (i) On road having a width more than 24 metres
- (ii) On road having a width of 12 metres to 24 metres
- (iii) On road having a width less than 12 metres

(b) Nature of construction of building-

- (i) Pucca building with R.C.C. roof or R.B. roof
- (ii) Other pucca building, asbestos, fibre or tin shed
- (iii) Katcha Building i.e. all other buildings
not covered in (i) and (ii)

Note - Please tick (✓) in the box applicable.

4. Year of construction of building.....

5. Previous assessed Annual Value and years of the assessment.....

- Number of four wheelers parked on public Road/ Footpath out side his building by owner/occupier....

VERIFICATION

I, who is the owner/occupier of House No. situated in Mohalla of the Ward, do hereby declare that the particulars furnished in this Form are correct and complete to the best of my knowledge and belief. Any detail therein had neither been concealed nor mentioned false.

Date.....

Signature.....

Witness.....

Name

Signature.....

Address.....

Name.....

Pin Code

Father's Name.....

Phone/Mobile.....

Address.....

e-mail

नगर निगम लखनऊ

कक्ष (वार्ड) वार निर्धारित मासिक किराया (प्रति वर्गफुट) दरों की सूची (1.4.2010 से प्रभावी)

कक्ष सं.	कक्ष का नाम	कक्ष का विस्तार	24मी. से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12मी.से24 मी. तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12मी.से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			केवल भूमि/ भूखण्ड के सम्बन्ध में स्थित		
			R.C.C./ R.B. छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	R.C.C./ R.B. छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	R.C.C./ R.B. छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	24 मी. से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड	12 मी. से 24 मी. तक चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड	12 मी. से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जोन - 1 (लालकुआँ वार्ड)														
<p>हाता रसूल खाँ, गढ़ेया छितवापुर रोड, छितवापुर पजावा, भेड़ी मण्डी, तिलपुरवा, शिवपुरी, नटखेड़ा</p>														
33	1.50 1.25 0.50 0.25 1.25 1.00 0.30 0.20 1.00 0.75 0.15 0.15													
	नवैया गणेश गंज।													
	1.75 1.50 0.60 0.40 1.50 1.25 0.50 0.30 1.25 1.00 0.40 0.20													
	ए०पी० सेन रोड, सुदामा पुरी													
	2.00 1.75 0.70 0.45 1.75 1.50 0.60 0.35 1.50 1.25 0.50 0.25													
34	गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, गौतमबुद्ध मार्ग, स्टेशन रोड की उत्तरी पटरी, गुरुद्वारा रोड, अशोक नगर नया गणेशगंज													
	2.25 2.00 0.75 0.60 2.00 1.75 0.70 0.40 1.75 1.50 0.60 0.30													
	हजरतगंज रामतीर्थ वार्ड													
	महात्मागांधी मार्ग, शाहनजफ रोड, लाप्लास, सप्रू मार्ग, लारेन्स टैरेस, बाजार हजरतगंज, एन०के० हलवासिया रोड, त्रिलोक नाथ रोड, तिलक मार्ग, राणा प्राताप मार्ग दक्षिणी पटरी, अशोक मार्ग, मिर्जापुरवा, नरही, मीराबाई मार्ग, रामतीर्थ मार्ग, पार्क रोड दोनों पटरी, बनारसी बाग, कैलाश तिवारी मार्ग, साकेत पल्ली, मल्लाहपुर बस्ती, स्टेट गेस्ट हाउस, शक्ति भवन से दूरदर्शन तक, विधानसभा मार्ग।													
	2.50 2.25 1.00 0.70 2.25 2.00 0.75 0.50 2.00 1.50 0.60 0.40													
69	जे०सी० बोस वार्ड													
	घसियारी मण्डी, जम्बूरखाना, रकाबगंज जदीद, किंवंटन रोड, चौलखी, चाइना बाजार, जे०सी० बोस रोड, बाग मुन्नू, कन्धारी बाजार, कैण्ट रोड (आशिक), बी०एन० रोड (आशिक)।													
	2.00 1.75 0.70 0.45 1.75 1.50 0.60 0.35 1.50 1.25 0.50 0.25													
	विधानसभा मार्ग (आंशिक), बालाकदर रोड, कैपर रोड, मकबरा रोड, फोर साउथ रोड, बाल्मीकी मार्ग, बेलदारी लेन।													
	2.50 2.25 1.00 0.70 2.25 2.00 0.75 0.50 2.00 1.50 0.60 0.40													
28	राजा राम मोहन राय वार्ड													
	लोक मान्य तिलक मार्ग, बटलर पैलेस कालोनी, मदन मोहन मालवीय मार्ग, गोखले मार्ग, प्राग नारायण रोड, लाजपतराय मार्ग, वजीर हसन रोड, राम मोहन राय मार्ग, संकल्प वाटिका से डालीबाग तक, राणा प्रताप मार्ग, सिकन्दर नगर चौराहा होते हुए स्टेडियम तिराहे तक दाहिनी पटरी, लक्षण मेला की तरफ दाहिनी पटरी।													
	2.50 2.25 1.00 0.70 2.25 2.00 0.75 0.50 2.00 1.50 0.60 0.40													
	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड													
	नया गांव पश्चिम, कैसरबाग, पुराना नजीराबाद, नजीराबाद, श्यामप्रसाद मुखर्जी रोड, बाजार झाऊ लाल, ख्यालीगंज, राजा नवाब अली रोड, आर०के० टण्डन रोड, चकबरत्त रोड, बताशेवाली गली, गन्ने वाली गली, गुड़न रोड, मिश्र बन्धु रोड, नाज सिनेमा रोड।													
55	1.50 1.25 0.50 0.25 1.25 1.00 0.30 0.20 1.00 0.75 0.15 0.15													
	कचहरी रोड (बी०एन० वर्मा रोड), कसाई बाड़ा।													
	2.00 1.75 0.70 0.45 1.75 1.50 0.60 0.35 1.50 1.25 0.50 0.25													
	गौतमबुद्ध मार्ग (आंशिक), गडबड झाला, श्रीराम रोड, अमीनाबाद पार्क, अमीनाबाद, मुमताज मार्केट, प्रताप मार्केट, जूते वाली गली, झण्डे वाला पार्क, छेदी लाल धर्मशाला, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग।													
	2.25 2.00 0.75 0.60 2.00 1.75 0.70 0.40 1.75 1.50 0.60 0.30													
महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड														
17	बरफखाना													
	1.50 1.25 0.50 0.25 1.25 1.00 0.30 0.20 1.00 0.75 0.15 0.15													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	सरोजनी नायडू मार्ग, कैण्ट रोड (आंशिक), आबादी कब्रिस्तान, जियामऊ, लामार्टीनियर कालोनी, मार्टिन पुरवा, पिपराधाट, सुभम नगर ।	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.25	0.50	0.30	1.25	1.00	0.40	0.20	
	क्रिश्चयन कालोनी, विधानसभा मार्ग, गुलिस्ता कालोनी, गौतमपल्ली, माल एवेन्यू, महात्मा गांधी मार्ग (आंशिक), कबीर मार्ग, मेजर बैक्स रोड, मिलिंग टोनिया एवेन्यू, मुरली नगर, राजभवन व राजभवन कालोनी, सरोजनी नायडू मार्ग, विन्डसर पैलेस, विक्रमादित्य मार्ग, विवेकानन्द मार्ग, स्टेट गेस्ट हाऊस ।	2.50	2.25	1.00	0.70	2.25	2.00	0.75	0.50	2.00	1.50	0.60	0.40	
88	बशीरतगंज-गनेश गंज वार्ड													
	बशीरतगंज, रानीगंज, सराय दुर्विजयगंज, दुर्विजयगंज, त्रिपाठी नगर, विष्णुपुरी, हरीनगर दुगांवा, सुभाषा मार्ग नाका से विराहाना पुल तक, दुर्विजयगंज नाले तक, हाथीखाना, चरस मण्डी, पंजाबी मोहल्ला, ग्रेन मार्केट, गणेशगंज ।	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.15	0.15	
	भूसा मण्डी, फतेहगंज गल्लामण्डी, फतेहगंज, गणेशगंज, गुईन टोला, हाता मातादीन, तकिया गनेशगंज ।	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.25	0.50	0.30	1.25	1.00	0.40	0.20	
	अमीनाबाद रोड (आंशिक) ।	2.25	2.00	0.75	0.60	2.00	1.75	0.70	0.40	1.75	1.50	0.60	0.30	
57	बाबू बनारसी दास वार्ड													
	हाता गनी खाँ, उदयगंज पार्क, शुतुरखाना, छितवापुर भुईयन, के.के.सी / के.के.वी कालोनी, पुराना किला, हैदर कैनाल, के.के.सी. के बगल नाला किनारा, हैदर कैनाल सिंचाई भवन के बगल का नाला, कैनाल कालोनी, सिंचाई भवन, हैदर कैनाल शिवमंदिर से नाले का किनारा, गढ़या जौहरी मेहतर, बाग आईना बीबी, हाता ख्वाजा गौहर, तिलपुरवा, जय नारायण रोड, हुसैनगंज, अड़गड़ा हुसैनगंज ।	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.15	0.15	
	कैन्ट रोड की दक्षिणी पटरी, हाता गनी खाँ (कैन्ट रोड) सुदामापुरी (आंशिक)	2.00	1.75	0.70	0.45	1.75	1.50	0.60	0.35	1.50	1.25	0.50	0.25	
	विधान सभा मार्ग (आंशिक), कुर्मी टोला ।	2.50	2.25	1.00	0.70	2.25	2.00	0.75	0.50	2.00	1.50	0.60	0.40	
95	मौलवीगंज वार्ड													
	चिकमण्डी ।	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.15	0.15	
	गुईन तालाब, रथखाना, लशकरी रकाबंगज, टेढ़ी बाजार, मौलवीगंज, पूर्वी विरहाना, गौस नगर, सुभान नगर, रस्सी बट्टौन, गुइनगंज, महिला कॉलेज, जनाना पार्क, अमानी गंज, नाला फतेहगंज, जंगलीगंज, गंगा प्रसाद रोड, सुभाष मार्ग ।	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.25	0.50	0.30	1.25	1.00	0.40	0.20	
	अमीनाबाद ।	2.25	2.00	0.75	0.60	2.00	1.75	0.70	0.40	1.75	1.50	0.60	0.30	
103	मशकरंज-वजीरगंज वार्ड													
	वजीरगंज, गौसगंज, लक्ष्मण प्रसाद रोड, नबीउल्लाह रोड, हामिद रोड, बाग घोसी, जवाहर नगर, बुलन्दबाग, काशी डेरा, ताजी खाना, अस्तबल चारबाग, पुल कुम्हारन मल्लाही टोला, फर्राश खाना, हाता दुर्गा प्रसाद, खत्री टोला, मुर्गखाना, नई बस्ती, बाग शेरजंग, हाता खेमेदोजान ।	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.15	0.15	
98	नजरबाग यदुनाथ साल्याल वार्ड													
	फूलबाग, नजरबाग, बाईसी की मस्जिद, तालाब गगनीशुक्ल, नयागांव पूर्व, जुरियन टोला, कटरा मकबूलगंज, कुर्मीटोला, सुतुरखाना ।	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.15	0.15	
	कैण्ट रोड (आंशिक), शिवाजी मार्ग, बेरुनीखन्दक, सफदलबाग, सुन्दर बाग, योगेन्द्र पाठक रोड, यदुनाथ सान्याल रोड, माडल हाऊस, रिसालदार पार्क, आर्य समाज मन्दिर रोड ।	2.00	1.75	0.70	0.45	1.75	1.50	0.60	0.35	1.50	1.25	0.50	0.25	
	गौतम बद्ध मार्ग (आंशिक), गुरु गोविन्द सिंह मार्ग (आंशिक) ।	2.25	2.00	0.75	0.60	2.00	1.75	0.70	0.40	1.75	1.50	0.60	0.30	
87	गोलागंज वार्ड													
	पीर जलील आंशिक, पुल झाउलाल, हाता फकीर मोहम्मद कच्चा, हाता फकीर मोहम्मद पक्का, गोलागंज, तकिया आजमबेग, बालूदखाना, नबीउल्लाह रोड ।	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.15	0.15	
	पुराना कानपुर रोड, जगत नारायण रोड, रिवर बैंक कालोनी, राम पाल चक्रतीर्थ रोड ।	2.00	1.75	0.70	0.45	1.75	1.50	0.60	0.35	1.50	1.25	0.50	0.25	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जोन-2														
अम्बेडकर नगर वार्ड														
8	आरती नगर, भरतपुरी, हरयन्दपुर, गढ़ी कनौरा, अम्बेडकर नगर, प्रेमवती नगर, इण्डस्ट्रीयल नगर, इन0ई0आर रेलवे कालोनी, चित्ता खेड़ा, करेहटा, गुलजार नगर, गर्वनमेन्ट प्रेस, मिल रोड, दक्षिणी पट्टी एक भाग मालवीय पल्ली, पी0डब्लू0डी0 गोदाम कालोनी।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
21	मालवीय नगर वार्ड													
26	अनुपम नगर, पाण्डेय का तालाब, चिरैन्धापुरवा, मोतीझील कालोनी, मालवीय नगर, रेलवे कालोनी, गुडशेड रोड, शीतल खेड़ा, पोले खेड़ा दारू गोदाम, हबीब नगर, लक्ष्मनगंज, तायल बिहार कालोनी, हाइडिल कालोनी, सचिवालय कालोनी, नई बस्ती मोतीझील, तिकोनी फील्ड।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
46	ऐशबाग पूर्वी, रामलीला, संतसुदर्शनपुरी (आंशिक), मास्टर कन्हैया लाल रोड, श्रमिक बस्ती पीली कालोनी, भवेदवा नई बस्ती, विकटोरियांगंज (आंशिक), नवाबगंज (आंशिक), ठठेर वाली वाली (आंशिक) भ0सं0265 / 078 के सामने राम नगर (आंशिक) धोबीघाट रामलीला मैदान, भदेवा नई बस्ती, तुलसी दास मार्ग (आंशिक)।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
58	इ ब्लाक सेक्टर 11 सी ब्लाक सेक्टर 12 (आंशिक) एवं एफ ब्लाक रुकन्दीपुर कोठारी बन्धु रोड से घंटेश्वर मन्दिर होते हुए खिन्नी चौराहे तक, इ0 ब्लाक मार्केट से टेम्पो स्टेण्ड हैदर कैनाल का बाया साइड, आलमनगर, मेहंदी खेड़ा, मल्टी स्टोरी हरिजन बस्ती लाल मरिजद, आलमनगर थड़ी आदि का भाग।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
61	चित्ताखेड़ा, एन0ई0आर0 (आंशिक) कालोनी, लोको कालोनी, एन0ई0आर0 कालोनी स्टेडियम, मोती नगर, आर्य नगर, नेहरू नगर, मवैया, मुन्ने लाल धर्मशाला रोड, लोकान्यगंज, रेलवे मल्टी स्टोरी पे एण्ड कैश कालोनी, चन्द्रभानु गुप्त नगर पानदरीबा, सुभाष मार्ग हैदर कैनाल से चारबाग तक रोड की दोनों पट्टी, जी0आर0पी0, जी0आर0पी0 कालोनी, दुर्गापुरी, ब्लन्ट स्कवायर (आंशिक), मवैया गुडशेड कालोनी, विजय नगर, नाका हिंडेला, गुरुद्वारा रोड	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
78	वॉटर वर्क्स रोड (आंशिक) राम नगर (आंशिक), सतंतसुदर्शनपुरी (आंशिक), खजुआ, इन्द्राणी नगर (आंशिक), तिलकनगर, कदीम नादान महल रोड (आंशिक), बाग लाल जी कन्डहा टिकैतगंज, इटकी मोहल्ला, नवाबगंज (आंशिक), पसियाना, शास्त्रीनगर, कुण्डरी कालोनी, रकाबगंज कदीम (आंशिक), बिल्लौचपुरा विकटोरियांगंज (आंशिक) ठठेर वाली गली (आंशिक), कसाबपुरवा, फसबपुरा।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
79	सपना कॉलोनी से- 6 (आंशिक), हैदर कैनाल तक, एफ ब्लाक (आंशिक), आलमनगर रोड, खिन्नी चौराहा से बावली चौकी दाया भाग, सी ब्लाक सेक्टर 6 राजाजीपुरम नन्दा खेड़ा लेबर कालोनी टिकैतराय, राजाजीपुरम सी ब्लाक नया, दरियपुर कालोनी, बालाजी मन्दिर से राजाजीपुरम एल0आई0सी0 भवन तक उत्तरी भाग।	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
राजेन्द्र नगर वार्ड														
90	ऐशबाग रोड आंशिक, कायमखेड़ा, निवाजखेड़ा, ख्यासपुरवा, चकमण्डी दुगांवा, राजेन्द्र नगर दक्षिण (चमारन टोला), राजेन्द्र नगर मध्य राजेन्द्र नगर दक्षिण (वेगम खेड़), छेदा ख्यासपुरवा, नाका हिन्डोला, विरहाना।	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
	यहियागंज-नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड													
104	नादान महल रोड (आंशिक) कुण्डरी रकाबगंज (आंशिक), निगमबग, इंद्राणीनगर (आंशिक), भीमनगर, भवाना सिंह शिवाला रोड, यहियागंज, मर्तुजा हुसैन रोड (आंशिक), लकडमण्डी, टाट पट्टी सिंधन वाली गली चमरटोलिया, टेढ़ी बाजार, नादान महल रोड (आंशिक), पुरी टोला छाथीकुंआ, बावर्ची टोला, चौधरीगढ़िया, आगमीर ड्योढ़ी, नारायन दास लेन, बाग काजी, रकाबगंज आंशिक, मौलवी अनवर बाग, अस्तबल यहियागंज, हाता खानसामा, नाला बेगमगंज।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
	शाहमीना रोड, सुभाष मार्ग (मेडिकल कालेज चौराहे से रकाबगंज पुल तक)													
		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
	राजा बाजार वार्ड													
107	कटरा आजमबेग, सराय आगामीर नवाबगंज (आंशिक), नादान महल रोड (आंशिक), कंधी वाली गली, दरियायी टोला, चिड़ी मार टोला, राजा बाजार रोड, सोबतिया बाग, राजा बाजार (आंशिक), बंजारी टोला,, पाटानाला, कंकड़कुआं, पंजाबी टोला रस्तोगी टोला, कटरा अबू तराब खां, कटरा मीर जहांगीर बेग, बाग मक्का बगमगंज मेडिकल कालेज, कवीन मेरी सुभाष काम्पलेक्स, कमला नेहरू तिराहा कन्वेशन, कमला नेहरू तिराहा, कन्वेशन सेन्टर बुद्धा पार्क सुभाष मार्ग एक पटरी, बड़ा इमामबाड़ा, टीले वाली मस्जिद आगावार शाहमीना रोड, एक पट्टी, मुर्तजा हसन रोड (आंशिक) जनता नगरी, तुलसी दास मार्ग (आंशिक)।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जोन - 3 जनकीपुरम प्रथम वार्ड-31													
साठफिठ रोड													
विश्वविद्यालय परिसर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
रानी खेड़ा गाँव	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
इंजीनियरिंग कॉलेज आवासी परिसर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
जानकी पुरम से0-एफ	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
जानकी पुरम से0-आई	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
रामपुर निस्फ	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
नेवादा खलीला बाद	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
जानकी बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
शिव बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
अलीशा नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
अकांक्षा परिसर पाकेट-ए	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
अकांक्षा परिसर पाकेट-बी	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
सरस्वतीपुरम	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
मुद्दियाव गांव	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
सीता बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
कृष्ण बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
सैदपुर जागीर आंशिक	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
डालीगंज निरालानगर वार्ड - 47													
सीतापुर बांच रोड	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
डालीगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
नजीरगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
लाहौरगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
मुश्शीगंज तकिया	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
मोहसिनगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
माया नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
लकड़मण्डी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
फैजाबाद रोड	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
रानीगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
बाबूगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
छोटा चांदगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
सरायहसनगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
कुतुबपुर आंशिक	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
इरादतनगर आंशिक	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
निराला नगर	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
शंकरनगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
सिन्धा/निराला नगर मार्केट	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
गुड्डियनटोला	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड-49													
इद्रा नगरी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
शिवाला का पुरवा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
अलीगंज से0-सी	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
अलीगंज से0-डी	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
अलीगंज से0-के	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
अलीगंज से0-पी	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
अलीगंज से0-क्यू	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
अलीगंज से0-सीएस	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अलीगंज से0-डीएस		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
अलीगंज से0-एलकेएक		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
अहिवरनपुर प्रथम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सीतापुर रोड		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
उस्मानपुर गांव		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पुरनिया गांव		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
निराला नगर गांव		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड - 44													
प्रियदर्शनी कॉलोनी से0-सी0		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
रहीमनगर डिडोली आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हनुमंत नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
संत कबीर नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नया पुरवा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
जुगल बिहार		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
यश नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अम्बर नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
कृष्णालोक नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
फैजुल्लागंज गांव		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
लक्ष्मी नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रुक्मणीपुरम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
श्याम बिहार कालोनी		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
जगत विहार		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
केशव नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
प्रगति विहार		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
अयोध्यादास द्वितीय वार्ड - 63													
खदरा (आंशिक)		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रुपपुर खदरा-4		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रुपपुर खदरा-5		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रुपपुर खदरा-3 (आंशिक)		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
लोनी कटरा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
त्रिवेणी नगर तृतीय		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
शिवलोक कालोनी		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अलीगंज													
आजाद नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
श्रीपुरम आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
एकतापुरम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
प्रियदर्शनी कालोनी से0-डी		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
पार्क व्यू आपर्टमेण्ट सीतापुर रोड		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड - 48													
श्रीनगर आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मोहिबुल्लापुर आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सिमरागौड़ी		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
इन्द्रपुरी शेरवानी नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गायत्री नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अजीज नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
शिव नगर प्रथम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हरिओम नगर प्रथम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
शकरपुरवा गांव		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रहीमनगर डिडोली		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बसंत बिहार		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
हिमसिटी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मायावती कालोनी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
द्वारिकापुरी कालोनी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
महेश्वरी नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भौला विहार			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सिद्धार्थ नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
खदरी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
जनकीपुरम द्वितीय वार्ड - 74														
जानकीपुरम से0-जी			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
जानकीपुरम से0-एच			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
जानकीपुरम से0-जे			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
जानकीपुरम			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
सिकन्दरपुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पहाड़पुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गुड़ियनपुरवा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
छुईयापुरवा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सहारास्टेट			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
जानकीपुरम गार्डन			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मनकामेश्वर मन्दिर वार्ड - 71														
बरैलिया			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
कबाड़ियापुरवा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अम्बेडकर नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नेहरूनगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
टैगोर मार्ग			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
जोशी टोला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मुकारिम नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
कुतुबपुर आंशिक			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
फैजाबाद रोड			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बाबा की बगिया			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पुश्पालन व मत्स्य विभाग कालोनी			2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
विश्वविद्यालय परिसर			2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
हसनगंज			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
लाला लाजपतराय वार्ड - 71														
अलीगंज योजना से0-एन			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
प्रताप नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अकिलापुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सबौली			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
तातारपुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अलीगंज से0-एम			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
नन्दपुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अलीगंज से0-सी			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
अलीगंज से0-ओ			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
उस्मान इन्क्लेव			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
बटहा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
तिवारी नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड - 75														
सीतापुर योजना से0-ई			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
सीतापुर योजना से0-ए			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
सीतापुर योजना से0-बी			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
बेलीगारद पल्टन छावनी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पलटन छावनी कटरा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अलीगंज से0-जे आंशिक		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
अलीगंज से0- आई		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
अलीगंज से0- एल		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
अलीगंज से0-जी		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
चौधरी टोला		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पुराना हनुमान मंदिर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
महानगर वार्ड - 53													
अकबर नगर		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
चर्च रोड		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
दर्शनगंज		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
दयाल फोर्ड		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
विष्णुपुरी		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
देवलोक		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
इन्द्रप्रस्थ नगर		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
महानगर		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
महानगर से0-बी		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
जनप्रिया काम्पलेक्स		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
रहीमनगर		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
अम्बाही का पुरवा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गोल मार्केट		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
पी0डब्ल्यू0डी क्वार्टर		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
मेहदी टोला		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
शेखुपुरा कालोनी		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
महानगर विस्तार (आंशिक)		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
रहीमनगर घोसियान		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
त्रिवेणी नगर वार्ड - 82													
पतौरागंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
त्रिवेणीनगर प्रथम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
त्रिवेणीनगर द्वितीय		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
त्रिवेणीनगर तृतीय		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
ब्रह्मनगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अहिवरनपुर आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड - 73													
इंदलगंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मोहिबुल्लापुर आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नायक नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
श्रीनगर आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
संस्कृतनगरम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
प्रियदर्शनी कॉलोनी से0-बी		1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
भरत नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अग्रसेन		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
प्रीती नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नौबरस्ता		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
ताड़ीखाना		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सत्येलोक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
स्नेही नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड - 16													
अलीनगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नहरपुर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
घैला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अल्लनगर डिगुरिया			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
ककौली			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मुतकीपुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रायपुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भिठौली खुर्द			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
आई0आई0एम0 रोड			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
सीतापुर रोड विस्तार			2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
मोहिदीनपुर (आंशिक)			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
लोहरामऊ			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नया दाउदनगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गणेश विहार			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गाजीपुर बलराम			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पुराना दाउदनगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मधुवन विहार			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
छोटी खदान			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बड़ी खदान			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रहीमनगर आंशिक			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
कदम रसूल वार्ड - 84														
तिलक नगर			1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
इरादतनगर आंशिक			1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
शिया कालेज			1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
कदम रसूल			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पुरानी बांस मण्डी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रेती टोला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
झबझाली टोला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बागशाहजी			1.75	1.50	0.50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
कर्बला नसीरुद्दीन			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भिस्ती टोला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नई बरस्ती			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मोहन मिक्रिन			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मशालची टोला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भाण्डू टोला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अशफाकउल्ला नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मक्कागंज आंशिक			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
विवेकानन्दपुरी वार्ड - 91														
आई0टी0 कालेज			2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
फैजाबाद रोड			2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
विवेकानन्दपुरी			2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
पीली कालोनी			2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
महानगर विस्तार			2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
बड़ा चादगंज			2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
छपरतल्ला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
महानगर से0-ए			2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
महानगर से0-सी			2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
महावीर जी का पुरवा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भाईजी की बगिया			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गोपालपुरवा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पाण्डेय टोला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
विज्ञानपुरी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अयोध्यादास प्रथम वार्ड - 110													
रूपपुर खदरा-1		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रूपपुर खदरा-2		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रूपपुर खदरा-3 (आंशिक)		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मदेयगंज-1		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मदेयगंज-2		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सीतापुर रोड		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
कर्बला नसीरुद्दीन		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मेहदीगंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
दीन दयाल नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बाबा जी का पुरवा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अलीगंज वार्ड - 109													
शेखापुरा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भिण्डया टोला		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
फतेहपुर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
तातारपुर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बनारसी टोला		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अलीगंज से0 - ए		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
अलीगंज से0 - बी		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
अलीगंज से0 - ई		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
अलीगंज से0 - एफ		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
चांदगंज गार्डन		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
चन्द्रलोक कालोनी		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
रविन्द्र गार्डन		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
अलीगंज से0-एच		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
अलीगंज से0 जे आंशिक		2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30
जानकीपुरम तृतीय वार्ड - 22													
मोहिउद्दीनपुर (आंशिक)		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
खरगापुर जागीर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
तिवारीपुर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मिर्जापुर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गुडम्बा आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मिश्रपुर आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अजनहरकला		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
आधार खेड़ा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सेंदापुर जागरी आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सुल्तानपुर गांव		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
जानकीपुरम विस्तार एलडीए कालोनी		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
कुर्सीरोड (विस्तार क्षेत्र बार्थी तरफ)		2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25
रसूलपुर कायस्थ		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अभिषेकपुरम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
राधेश्याम पुरवा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बसहा (आंशिक)		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
दसौली (आंशिक)		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जोन - 4													
मोहल्ले का नाम	24 मी० से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 मी० से 24मी० से चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			केवल भूमि / भूखण्ड के सम्बन्ध में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
पुराना हैदराबाद, विश्वविद्यालय मार्ग, पुराना बादशाह नगर, बीरबल साहनी रोड, वाल्डा रोड कालोनी, रायबिहारी लाल रोड, न्यू हैदराबाद, रिजर्व पुलिस लाइन, बाल्डा कालोनी। (कालिवननिशातगंज)-59	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
निशातगंज गली नं० 1-6 (कालिवन निशातगंज)- 59	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
जुगौली आंशिक, भीकमपुर, बाल्मिकी नगर, बाबा पुरवा, चक्कर पुरवा (वार्ड पेपरमिल कालोनी) -70	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
पेपर मिल कालोनी ब्लाक ए से लेकर एच तक, नेहरूइन्हलेव, इल्डिकोग्रीन, सिंचाई कालोनी, शिवाजी नगर, विश्वासखण्ड, बादशाहनगर रेलवे कालोनी से कुकरैल बन्धे तक बादशाह नगर रेलवे कालोनी, सचिवालय कालोनी। (वार्ड पेपरमिल कालोनी) - 70	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
उजरियांव, लोधपुरवा, चमरही, आंशिक, नवाबपुरवा, भीमनगर (राजीवगांधी प्रथम वार्ड) - 76	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
विजयखण्ड, विनयखण्ड, विवेक खण्ड, विराटखण्ड, विनीतखण्ड -6 (राजीवगांधी प्रथम वार्ड) - 76	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
डिगडिगा, गड़रियन पुरवा, ग्वारी सृजन बिहार कालोनी (रफी अहमद किदवई वार्ड) -62	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
विशालखण्ड, विषिन खण्ड, विपुल खण्ड, विकास खण्ड, जनेश्वर मिश्रा पार्क (रफी अहमद किदवई वार्ड) -62	2.25	2.00	0.75	0.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
चिनहट-ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एच ब्लाक, विनीतखण्ड, गोमतीनगर योजना के अन्य भाग, विराजखण्ड-4, विकल्पखण्ड-4, (चिनहट प्रथम) - 50	2.25	2.00	0.75	0.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
गंगा बिहार, यमुना बिहार, गुलिस्ता कालोनी, चकमल्होरी,, हंसविहार, बुद्धविहार, झालियनपुरवा, हुसडिया, अम्बेडकर कालोनी, (चिनहट प्रथम) - 50	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
नया गांव, विजयीपुर, कठौता, तकवा, रिसहा आंशिक भाग, गुलाम हुसनै पुरवा, रिसहा नया गांव, विजयीपुर, पासीपुरवा, नर्दापुरवा, कठौतापुरवा गांव, तखवा गांव, भरवारा गांव (चिनहट द्वितीय) - 66	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
विभूतिखण्ड आंशिक, ओमेक्स, इल्डिको, पार्श्वनाथ, प्लुमेरिया अपार्टमेण्ट, विशेषखण्ड 1,2,3,4 विभवखण्ड 1,2,3,4 विजयन्तखण्ड 1,2,3,4 वास्तुखण्ड 1,2,3 विराजखण्ड 1,2,3,4,5 विनम्राण्ड 1,2,3 विकल्प खण्ड 1,2,3 विक्रान्तखण्ड 1,2,3। (चिनहट द्वितीय) - 66	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
लक्षण पुरी, रोहतास इन्क्लेव, रवीन्द्रपल्ली, हरिनगर, संजयगांधीपुरम, कसैला, मारुतिपुरम, नारायणनगर, जुगौली आंशिक, बैहनपुरवा, (वार्ड गोमती नगर वार्ड) - 37	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
फैजबाद रोड, एच.ए.एल. कालोनी, विभूतिखण्ड का आंशिक भाग एवं कैलाशकुंज (वार्ड गोमती नगर वार्ड) -37	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
उत्तरधौना आंशिक, गणेशपुर रहमानपुर, सेमरा, शाहपुर, सरायशेख, टेराखास, भरवारा, निजामपुर मल्हौर, लौलई, हासेमऊ, भैसोरा, लोनपुर, चन्दियामऊ (भरवारा मल्हौर) -14	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
फैजबाद रोड आंशिक (भरवारा मल्हौर) -14	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
खरागापुर, राम आसरे पुरवा, गीतापुरी, सरस्वतीपुरम, कौशलपुरी, (खरागापुर सरसवा) -12	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
अहमामऊ, चक कजेहरा, मस्तेमऊ, वशिष्ठ बिहार कालोनी, माढरमऊकला आंशिक, माढरमऊखुर्द, सरसवाँ, अर्जुनगंज, गायत्री शक्तिपीठ पटेल पुरम, मखदूमपुर, मलेशेमऊ, अरधौनामऊ, बाधामऊ, वरदानखण्ड सेक्टर-1, विस्तार सेक्टर-1, विस्तार सेक्टर-4, विस्तार सेक्टर-5, विस्तार-5, विस्तार सेक्टर-6, विस्तार सेक्टर-7 (खरगापुर सरसवा) - 12	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जोन -5														
10	सरोजनी नगर (प्रथम)													
	हिन्दू खेड़ा, हड्डाईन खेड़ा, गहरू, बराती खेड़ा, गंगादीन खेड़ा, दरोगा खेड़ा, स्कूटर इंडिया, गौरी, जयराजपुरी, हनुमानपुरी, बेहटवा, गिन्दन खेड़ा, मुरली विहार।	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
18	सरोजनी नगर (द्वितीय)													
	नादरगंज, आजाद नगर, तपोवन नगर, अवध विहार, लाला खेड़ा, अलीनगर सुनहरा, (पंडित खेड़ा) बदाली खेड़ा, सत्यलोक, नारायणपुरी, मानस नगर, 32वीं पी.ए.सी., बीमा अस्पताल, साक्षरता निकेतन, विष्णुलोक, अनौरा, अमौसी बेहटवा।	1.75	1.50	1.25	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.40	0.30	0.20	
36	हरिओम नगर, अलीनगर सुनहरा (पाल विहार), अलीनगर सुनहरा(आर.डी.पी. सिटी), अलीनगर, सुनहरा (जे.के. सिटी) नये परिसीमन के अनुसार नये मोहल्ले / वार्ड का विस्तार।	1.75	1.50	1.25	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.75	0.40	0.30	0.20	
	केसरी खेड़ा, गंगा खेड़ा, कनौसी, बलदेव खेड़ा, दौदा खेड़ा, धैंधा खेड़ा, सूर्य नगर, विक्रम नगर, आर.डी.एस.ओ., मेंहदी खेड़ा, महाराजापुरम, खुशी विहार, ओशो नगर	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
45	गुरुगोविन्द सिंह													
	फतेहअली तालाब, आनन्द नगर, बड़ा बरहा, पटेल नगर, आदर्श नगर, किंदवई टोला, राजकीय उद्यान जिला करागार	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
23	अर्जुन नगर, सुजानपुर आंशिक, छोटा बरहा आंशिक, पंजाब रेलवे कालोनी नवीन परिसीमन के अनुसार नये मोहल्ले / वार्ड का विस्तार	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
	गुरुनानक नगर, गुरु नानक नगर, स्नेह नगर, प्रेम नगर, आंशिक, दामोदर नगर, नया सरदारीखेड़ा, पूरन नगर, सुन्दर नगर, नटखेड़ा, गोविन्द नगर, जयप्रकाश नगर, हरिहर प्रसाद नगर आंशिक, अमरुददीबाग आंशिक	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
25	चन्द्र नगर नवीन परिसीमन के अनुसार नये मोहल्ले / वार्ड का विस्तार	2.00	1.75	1.50	1.75	1.50	1.25	1.50	1.25	1.00	0.60	0.40	0.30	
	बाबू कुंज बिहारी - ओमनगर	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
54	सुजानपुरा, आंशिक, छोटा बरहा आंशिक, पवनपुरी, अहमदपुर, कैलाशपुरी	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
	ओमनगर, पुराना सरदारी खेड़ा, कोरियाना, भिलांवा, साकेतपुरी, गीतापल्ली नवीन परिसीमन के अनुसार मोहल्ले / वार्ड का विस्तार	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
65	गीतापल्ली													
	पकरी, हसनापुर, मुस्लिम नगर, विशेश्वर नगर, गीतापल्ली आंशिक, कृष्णापल्ली, सैनिक नगर, फौजी कालोनी, आजाद नगर, विराट नगर	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
41	मधुवन नगर, शक्ति नगर, जयप्रकाश नगर वीन परिसीमन के अनुसार मोहल्ले / वार्ड का विस्तार	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
	चित्रगुप्त नगर	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
41	जाफर खेड़ा, भोला खेड़ा, इन्द्रपुरी, इन्द्रलोक, बजरंग नगर, तिवारीपुरम, प्रताप नगर, शिवम नगर, सुभाष नगर, विजय नगर, आशुतोष नगर, विनय नगर, कृष्णा नगर, सिन्धु नगर	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	
	रामजी लाल सरदार पटेल नगर	1.50	1.25	1.00	1.25	1.00	0.60	1.00	0.75	0.60	0.25	0.20	0.15	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जोन - 6													
आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड - 99													
सराय माली खाँ (आंशिक)	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
फाटक जियालाल	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
दिलाराम बारादरी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
निवाजगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
तहसीनगंज आंशिक दक्षिणी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
चौपटिया रोड़	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
चौपटिया	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
कटरा माहम्मद अली खाँ	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
हाता सूरज सिंह	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
तम्बाकू मण्डी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
अब्दुल अजीज रोड़	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
नैपियर रोड़ पार्ट-1	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
रानी कटरा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
आलम नगर वार्ड - 32													
कुमार पुरम	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
रजा नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
न्यू पारा कालोनी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
राम बिहार कालोनी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
राम बिहार कालोनी -1	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
राम बिहार कालोनी -2	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
बल्दी खेड़ा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
पैष्णव पुरम	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
सागर बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
अशोक बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
अर्जुन बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
लक्ष्मण बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
शीतलापुरम	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
मर्दन खेड़ा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
शुक्लाबिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
चन्द्रोदय नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
सोनिया नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
गायत्री नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
गायत्री पुरम	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
तुलसी बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
पीताम्बर खेड़ा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
जलालपुर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
मयूर बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
शिवपुरी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
अम्बर गंज वार्ड - 101													
अम्बरगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
बजीरगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
पसन्द बाग	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
नेवाती टोला -1	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
झरियन तालाब	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
महबूबगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कश्मीरी मोहल्ला वार्ड - 105													
दरगाह हजरत अब्बास रोड़	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
फाजिल नगर खरियाई	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
पुरना चबूतरा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
नूरबाड़ी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
छावनी हुसैनउद्दीन खाँ	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
मंसूरनगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
कश्मीरी मोहल्ला दक्षिणी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
हातानूर बेग	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
कच्चा बाग	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
सिरक वाली गली	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
टिकरी खुर्द	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
खिड़की मीर आगा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
कटरा खुदा यार खान	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
छोटे साहब आलम रोड़	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
कटरा हैंदर हुसैन	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
खोखीटोला	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
मंसूर नगर आंशिक	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
पूल गुलाम हुसैन आंशिक	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
शाहगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
गाड़ी अड्डा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
पान दरीबा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
हाता संगी बेग	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
गली मीर माता	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
सराय बास	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
पुराना नक्खास	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
बालागंज वार्ड - 27													
मालापुरम	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
हरिनगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
बरी रोड़	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
सरफराजगंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
गौशाला रोड़	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
पुराना तोप खाना	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
रस्तोगी नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
बरीकला	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
रेलवे कालोनी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
गोपाल नगर	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
बुन्दावन बिहार	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
छन्दोईया का पुरवा	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
बसन्तकुंज योजना	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
पुराना बालागंज	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
हड्डई आंशिक	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
चौक बाजार काली जी वार्ड - 106													
लाजपतनगर	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
खुनखुन जी रोड़	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
कमला नेहरू मार्ग	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
घड़ियाली	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
चौक रोड़	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
मिर्जा मण्डी	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
बाग महानारायण	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
खेत गली		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
सोधीटोला		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
दर्जी बगिया		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
नाईबाड़ा		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
पुल मोतीलाल		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
चौक		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
चढ़ाई महूलाल		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सराय माली खाँ आंशिक		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
हाता भीकम खाँ		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भवानी गंज वार्ड - 108													
भवानीगंज		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
मेहदीगंज		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
लोधपुरवा		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
सादिक भद्रेवा		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
पुराना हैदरगंज		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
तुलसीदास मार्ग		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20
अशफ़िबाद		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बाजार खाला		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पुराना टिकैतगंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
टकसाल		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
जौहरी माहल्ला		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पर्चे वाली गली		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सराय बीच		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
दलाली मोहल्ला		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
फिरंगी महल		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
दौलतगंज वार्ड - 94													
गिरधारलाल माथुर रोड़		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मुर्ग खाना		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सज्जाद बाग		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
ब्रह्मणी टोला		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पजावा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अहमदगंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गऊघाट		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सआदतगंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
दौलतगंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रामगंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गढ़ीपीर खाँ वार्ड - 97													
वेदन टोला		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
निवाती टोला-2		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हाता गुरदास मल		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रज्जबगंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हड्डी बाजार (आंशिक)		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मौज्जम नगर (आंशिक)		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गढ़ीपरी खाँ		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
करीमगंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
न्यू हैदरगंज (प्रथम) वार्ड - 83													
वीवीगंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
लकडमण्डी		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रिफा कालोनी		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
न्यू हैदरगंज-1		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
असिया मऊ		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हज्जी टोला		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
किशोर गंज		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अमनबिहार		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
न्यू हैदरगंज (द्वितीय) वार्ड - 39													
मल्लपुर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पक्का बाग		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
शीला गार्डन		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बृजबिहार		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भपटामऊ		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सोनाबिहार		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बृद्धेश्वर बिहार 1 एवं 2		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
आलम बिहार		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
प्रभातपूरम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बादशाह खेड़ा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मायापुरम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
डिप्टी खेड़ा -2		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सा०एल०स्टैट		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मोहान रोड़ आंशिक		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रिंग रोड		1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
आदर्श नगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड - 20													
डिप्टी खेड़ा-1		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पर्वी दीन खेड़ा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पारा गाँव		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पिंक सिटी		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हंस खेड़ा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
चुन्नू खेड़ा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मुन्नू खेड़ा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
देवपुर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
डाक्टर खेड़ा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
न्यू बस्ती अवन्ती बिहार		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नरपत खेड़ा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मीरा पुरम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मोहान रोड़ (आंशिक)		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हुसैनाबाद वार्ड - 93													
मोहिनी पुरवा		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
महताव बाग		1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
गेंद खाना		1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
पीर बेखारा		1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
तहसीनगंज (एल.डी.ए.)		1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
नेपियर रोड़ कालोनी													
मलिहाबाद रोड़ (आंशिक)		1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
हुसैनाबाद (शीशमहल)		1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
हाता सितारा बेगम		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
शिवपुरी		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हुसैनाबाद ट्रस्ट रोड़		1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
कन्हैया माधवपुर प्रथम वार्ड - 52													
सरदारनगर		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बरौरा हुसैनबाड़ी		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
कंधीखेड़ा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मलिहाबाद रोड़ (आंशिक)			1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
कन्हैया माधवपुर द्वितीय वार्ड - 38														
मलिहाबाद रोड़ (आंशिक)			1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
बेरगिया			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
फरीदीपुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
माधवपुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अहिरन खेड़ा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
रमना			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
लाला बाग			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भूहर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अलमास बाग			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
दौलत खेड़ा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
शाहपुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मल्लाही टोला प्रथम वार्ड - 85														
मलिहाबाद रोड़ आंशिक			1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
घास मण्डी			1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
जनरैल गंज			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
राधाग्राम आंशिक			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मिश्रीबाग			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मल्लाहीटोला			1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
लोधपुरवा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नगरिया			1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
झब्बन की बगिया			1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
कल्याण पुरी			1.75	1.50	0.75	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.50	0.40	0.30	0.25
मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड - 81														
राधाग्राम आंशिक			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बर्फ खाना			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
झाकड़ बाग			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मुसाहवगंज			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मुफतीगंज			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हाता मिरजा अली खान			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नानक नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
घास मण्डी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मौलाना कल्पे-आदिब वार्ड - 102														
रुस्तम नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मैदान एल0एच0खान			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हसनपुरिया			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
कटरा बीजन बेग			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
कश्मीरी मोहल्ला रोड़			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अगूरी बाग			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
टिकरी जुलहन			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
झवाई टोला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अहिरी टोला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
तकिया हाजी नुसरत			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
तकिया पीर गायव			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
तोप दरवाजा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बधुआ खाना			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गुल्लू की तकिया			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
कच्चा पुल			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
कटरा वफा वेग			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
महमूद नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सहादतगंज वार्ड - 24														
मातादीन रोड़			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बावली बाजार			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मोहम्मद गंज बावली			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
फतोहाबाद			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
गढ़ैय्या सुल्तानपुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
समराही रोड़			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
वेलवारी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
धियाई			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
आजमनगर रोड़			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
आलमनगर रोड़			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
शिवाजी पुरम			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
अशरफ नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मुन्नी बिहार			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हसनगंज बावली			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मा० लाल जी टण्डन वार्ड - 7														
सिकरौरी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
जेहटा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
महिपत मऊ			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सराय प्रेमराज			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मौरा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सैथा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
लालनगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बरावनकला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बरावन खुर्द			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
पीर नगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
हयातनगर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मा० कल्यान सिंह वार्ड - 9														
सुमिरन खेड़ा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
भमरौली			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
कलिया खेड़ा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सदरौना			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सरोसा-भरोसा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नरौना			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सलीमपुर पतौरा			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
शीतलादेवी वार्ड - 89														
त्रिवेणीगंज			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बुद्धलाल तिवारी रोड़			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
ब्राह्मणी टोला			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
नौबस्ता			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बाग शीतला देवी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
कटरा खुदा यार खाँ			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
एल०डी०ए०			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
टिकैतराय तालाब कालोनी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
बिहारपुर			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
सआदतगंज खास			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15
मातादीन रोड़ दक्षिणी			1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जोन - 7														
शहीद भगत सिंह प्रथम														
7	आदर्श कॉलोनी तकरोही, आदर्श नगर-1,2,3, मटियारी, अम्बेडकर चौराहा तकरोही, अमराई गांव, आनन्द विहार, आश्रयहीन योजना तकरोही, आशूतोष विहार आस्था विहार कॉलोनी तकरोही, बादशाह खेड़ा, बसन्त इन्क्लेव अमराई, बुद्ध विहार तकरोही, कैटल कॉलोनी तकरोही, दीन दयाल पुरम, देवा रोड मटियारी, ढूड़ा कॉलोनी, फैजाबाद रोड मटियारी, फतहापुरवा तकरोही, गहमर कुन्ज फैजाबाद रोड, गंगा सरस्वती विहार, गीत विहार कॉलोनी, गाजीनगर तकरोही, गोमती विहार, गोविंद विहार, गुलजार कॉलोनी फैजाबाद रोड, हनुमनत नगर तकरोही, जे.पी. नगर तकरोही, जय नगर, कंचनपुर, कान्तिपुरम देवा रोड, काशि विहार मटियारी, कोमल सिटी अमराई गांव, क्रान्ति नगर तकरोही, कृष्णा विहार फैजाबाद रोड, कृष्णा विहार तकरोही, महामाया नगर तकरोही, मटियारी, न्यू पंचवटी कालोनी मटियारी, ओम नगर तकरोही, पिताम्बरा विहार मटियारी, प्रति नगर तकरोही, राधापुरम मटियारी, राधिकापुरी तकरोही, शान्ति नगर तकरोही, शर्मा सिटी तकरोही, शीतल रेजीडेन्सी, शिवनगर तकरोही, श्री कृष्ण विहार, सूर्या सिटी, तकरोही बाजार, तकरोही गांव, तकरोही विहार, वन्दना विहार तकरोही, विनायक सिटी तकरोही, नौबस्ता आंशिक, गणेशपुर रहमानपुर आंशिक।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
8	लाल बहादुर शास्त्री प्रथम													
27	ए-ब्लाक इन्दिरा नगर, बंसल कॉम्प्लेक्स, गोपाल तीर्थ प्लाजा, कल्याण अपार्टमेन्ट सेक्टर-24, कल्याण ग्रीन व्यू अपार्टमेन्ट, लवकुश नगर आंशिक, लेखराज खजाना इन्दिरा नगर, लेखराज मार्केट-1, भीना मार्केट इन्दिरा नगर, नीलगिरी काम्प्लेक्स, प्रकाश लोक, प्रताप नगर, सामादीपुर, सर्वोदय नगर, सेक्टर-20,22,23 इन्दिरा नगर, बी-ब्लाक आंशिक, फैजाबाद रोड मेन रोड।	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.75	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
31	इन्दिरा प्रियदर्शिनी													
52	अपूर्वा विहार मानस इन्क्लेव, अवध कुन्ज, अवध विहार, अवन्ति पुरम, बजांगबली विहार, बाल विहार, बालाजी रेजीडेन्सी, बसन्त कुन्ज, बसन्त विहार, चॉदन, चॉदन विहार फरीदी नगर, चाणक्यपुरी, चेतना विहार इन्दिरा नगर, द्वारिका विहार, फरीदी नगर, गणपति इन्क्लेव, घनश्याम कुन्ज, जय विहार कॉलोनी, जरहरा, खण्णपुर, खण्णपुर गांव, सेक्टर-14, कृष्णा विहार कॉलोनी, लाजवन्ति नगर सेक्टर-11, महादेव रेजीडेन्सी, महावीर रेजीडेन्सी, मानस सिटी, मानस इन्क्लेव, मानस विहार, मानस हाईट मानस इन्क्लेव, मयूर रेजीडेन्सी, मयूर उद्यान फरीदी नगर, मयूर विहार, नारायण नगर, नील विहार सेक्टर-14, निजामुद्दीन पुर, नार्थ सिटी इन्क्लेव, ओम कारपुरम कॉलोनी, पण्डित पुरवा, परमेश्वर विहार, पिक्निक स्पॉट रोड, प्रेसीडेन्सी इन्क्लेव, राहुल विहार, रैम्बो सिटी फरीदी नगर, राजीव नगर, राजीव नगर सेक्टर-11, राम विहार, रविन्द्र विहार, रेवती विहार, रुद्रा विहार पिक्निक स्पॉटरोड, साई धाम कॉलोनी, समता नगर, स्नेही कुन्ज, सीता विहार, शंकरपुरी कॉलोनी, शीतला विहार, शिव विहार कॉलोनी शिव इन्क्लेव, शिव विहार फरीदी नगर, शिवाजीपुरम इन्दिरा नगर, शिवलिक इन्क्लेव, शिवपुरी फरीदी नगर, श्रुति विहार इन्दिरा नगर, शुभम विहार, साउथ सिटी, श्रीराम कुन्ज फरीदी नगर, सुग्रामजु का पुरवा, स्वरूप विहार, तकरोही विहार, ठाकुर विहार पिक्निक स्पॉट रोड, तुलसी विहार इन्दिरा नगर, वैष्णों विहार नियर सेक्टर 11, वसुन्धरा इन्क्लेव, विमल कुन्ज, फरीदी नगर, सेक्टर-11, सेक्टर-14 इन्दिरा नगर।	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.75	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
31	शंकरपुरवा द्वितीय													
52	आदिल नगर कुर्सी रोड, एल्डिको कॉलोनी कुर्सी रोड, गन्ने का पुरवा रिंग रोड, कुर्सी रोड, विकास नगर विस्तार, विकास नगर सेक्टर-10, 11,12,13,14, विनायक पुरम विकास नगर।	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
52	आदिल नगर, आदिल नगर अल्कापुरी, आदिल नगर, गायत्रीपुरम, अहिल्याबाई नगर, अतरौली, बहादुरपुर, बजरंग नगर, बहादुरपुर यूनिटी सिटी, भेदापुर, गन्ने का पुरवा, गोराबाग, गायत्रीपुरम, जहरापुर, कल्याणपुर वेस्ट, कल्याणपुर वेस्ट जगर्ती विहार, कल्याणपुर वेस्ट विवेकानन्दपुरम, कल्याणपुर आदर्श नगर, मोम्मदपुर कर्न्हईया नगर, मोहम्मदपुर खत्री, मोहम्मपुर खत्री आलोक नगर, मोहम्मदपुर खत्री सीमान्त नगर, फूलबाग कालोनी, प्रगति विहार, शिव विहार कालोनी, सीमान्त नगर, यूनिटी सिटी	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
52	इस्माइगंज प्रथम													
52	सेक्टर-8,9,10,12,13 इन्दिरा नगर, लेखराज नगरीना, मुंशीपुलिया आंशिक भाग, पटेल नगर आंशिक, सूर्या इन्क्लेव।	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.75	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
52	दीपक नगर, देव नगर, गायत्री नगर, गुरु भारतीपुरम, एच.ए. विहार, हरिहर नगर आंशिक, पटेल नगर 1 से 3, रघुराज नगर, रजीव नगर, राजवीर नगर, मुलायम नगर आंशिक, ज्ञान विहार आंशिक, सन्तपुर आंशिक, समर गार्डन आंशिक, अमलताश आंशिक।	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
52	अहसान नगर, भगवती पुरम, दयाल इन्क्लेव, इन्साफ नगर, ईश्वरपुरी, कपीश कुन्ज, लोहिया विहार, मथुरा विहार, नन्दनी विहार, नवनीत विहार, पटेल नगर स्टार कॉलोनी, पिक्निक स्पॉट रोड, वैशाली इन्क्लेव, विजय प्रताप नगर कॉलोनी।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	इस्माइगंज द्वितीय													
53	<p>फैजाबाद रोड मेन रोड 2.25 2.00 0.75 2.00 1.75 0.75 1.75 1.50 0.60 0.60 0.40 0.30 आदर्श नगर कमता, अजय नगर, आकाशवाणी सेक्टर-08, अमलताश इन्क्लेव, अशोक विहार, अवध विहार, आजम नगर, बसन्त विहार कॉलोनी, क्रिस्टल व्यू आपर्टमेन्ट फैजाबाद रोड, दीपक नगर, देव नगर कामता, देव नगर पटेल नगर, द्वारिकापुरी, फेरडील इन्क्लेव विमल नगर, गायत्री नगर इस्माइलगंज, गुरु भातरी पुरम, ज्ञान विहार इस्माइलगंज, ज्ञान विहार कमता, एच ए विहार इस्माइलगंज, हरिहर नगर, इसन गार्डन इस्माइलगंज, इस्माइलगंज गांव, जगन्नाथपुरी कॉलोनी, जय नगर, ज्योति विहार सुरेन्द्र नगर, कैलाश विहार कमता, कल्पना कालोनी कमता, कल्प्याणी विहार कमता, कमला नेहरू नगर, कमता, कमता फैजाबाद रोड, कमता गांव, कृष्ण विहार फैजाबाद रोड, लेखराज होम्स फैजाबाद रोड, मुलायम नगर, नारायण नगर कमता, पंचवती कालोनी, पटेल नगर 1 से 3, पटेल नगर विस्तार, प्रीति नगर, प्रिति विहार कॉलोनी, रघुराज नगर, राजीव नगर, राजकीय पैलीटेक्निक, राजवीर नगर, रमेश्वर नगर कमता, रतन विहार, समर</p> <p>गार्डन, सनातन नगर, सरोजनी विहार मुलायम नगर, सरस्वती विहार इस्माइलगंज, शालीमार गार्डन, शंकरपुरी कमता, शिवाजी नगर कमता, शिवपुरी, सुरेन्द्र नगर, स्वप्न लोक कॉलोनी कमता, तुलसी विहार, वासुदेव नगर, विमल नगर। 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.40 0.40 0.30 0.20 काशी विहार मटियारी, देवा रोड दाहिनी पट्टी 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15</p> <p style="text-align: center;">बाबू जगजीवन राम</p>													
57	<p>गोयल आर्टमेन्ट (सेक्टर-21), इन्दिरा नगर सरस्वती विहार, इन्दिरा नगर सेक्टर-16,17,19,21,25 2.25 2.00 0.75 2.00 1.75 0.75 1.75 1.50 0.60 0.60 0.40 0.30 शंकरपुरी 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.40 0.40 0.30 0.20</p> <p style="text-align: center;">शंकरपुरवा तृतीय</p>													
72	<p>आनन्द पुरम विकास नगर, दुर्गा पुरम विकास नगर, इनामबाग विकास नगर, कमला नेहरू निगर रिंग रोड, रिंग रोड, संजय विकास नगर विस्तार, श्याम कॉम्प्लेक्स सेक्टर-14, विकास नगर सेक्टर-7,8,9,10,11,13,14 विकास नगर विस्तार, विकास विहार विकास नगर, विनायक पुरम विकास नगर। 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 0.45 0.35 0.25</p>													
	<p>कमला नेहरू नगर, खुर्रम नगर इन्द्रिप्रथ नगर, खुर्रम नगर मतीन का पुरवा, खुर्रम नगर पन्त नगर, खुर्रम नगर पिन्निक स्पॉट रोड, खुर्रम नगर साहिद आर्केट, खुर्रम नगर साकेत विहार, खुर्रम नगर श्याम कुन्ज, खुर्रम नगर श्याम नगर, रोहतास अपार्टमेन्ट शादाब कालोनी, शिव विहार कालोनी, विकास नगर गजराहा का पुरवा। 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15</p> <p style="text-align: center;">मैथिलीशरण गुप्त</p>													
77	<p>बंसल हलवासिया काम्प्लेक्स, बी-ब्लाक इन्दिरा मार्केट बी-2, बी-ब्लाक इन्दिरा नगर, इवेन नम्बर ए-ब्लाक इन्दिरा नगर, गाँधी मार्केट सेक्टर-5, गोपाल तीर्थ प्लाजा, आजाद मार्केट, इन्दिरा नगर फैजाबाद रोड, शास्त्री मार्केट, विनिराज प्लाजा, लेखराज डॉलर बी-ब्लाक, लेखराज नगीना सी ब्लाक, ऑड नम्बर बी-ब्लाक इन्दिरा नगर, ऑड नम्बर सी-ब्लाक इन्दिरा नगर, शिवाजी बाजार, शिवाजी इन्क्लेव, उत्सव इन्क्लेव। 2.25 2.00 0.75 2.00 1.75 0.75 1.75 1.50 0.60 0.60 0.40 0.30</p>													
	<p>आम्रपाली गांव, बस्तौली गांव, गाजीपुर सैदुलनिशा 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15</p> <p style="text-align: center;">लोहिया नगर</p>													
86	<p>अजीत रेजीडेन्सी सेक्टर-2 विकास नगर, अजीत टॉवर सेक्टर-2 विकास नगर, अरिचट अपार्टमेन्ट विकास नगर, आरिफ विकास चैम्बर, अरकिट जैक्स अपार्टमेन्ट, आशीष प्लाजा, अवध प्लाजा, आवास विकास मार्केट, चन्द्र कमल शॉपिंग काम्प्लेक्स, दीप प्लाजा विकास नगर सेक्टर-2, ऐकता बाजार, जीवन सहारा टॉवर, कृष्ण पैलस, लेखराज इन्क्लेव, लेखराज पन्ना, मा० अपार्टमेन्ट, मा० शारदा कॉम्प्लेक्स, मूसा अपार्टमेन्ट, मुकुलटावर, नन्दनी अपार्टमेन्ट, निधि काम्प्लेक्स, पुष्टा अपार्टमेन्ट, पुष्टा अपार्टमेन्ट फेस-2, रिलेवल कॉम्प्लेक्स, रोहित टावर, शी प्लाजा काम्प्लेक्स, सन अपार्टमेन्ट, ठाकुर कला, तीर्थ विकास अपार्टमेन्ट, विकास अपार्टमेन्ट विकास नगर, सेक्टर-1,2,3,4,5,6,9 विकास नगर। 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 0.45 0.35 0.25</p>													
	<p>कन्हईया लाल का पुरवा, महेश नगर 1.50 1.25 0.50 1.25 1.00 0.30 1.00 0.75 0.15 0.25 0.20 0.15</p> <p style="text-align: center;">शंकरपुरवा प्रथम</p>													
92	<p>कल्याणपुर रिंग रोड, कमला नेहरू नगर, कुर्सी रोड, रिंग रोड, विकास नगर सेक्टर -7,8,9 2.00 1.75 0.70 1.75 1.50 0.60 1.50 1.25 0.50 0.45 0.35 0.25</p>													

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	आदर्श नगर, अतरौली, बहादुरपुर, बहादुरपुर कंचन नगर, बहादुरपुर कंचना विहारी मार्ग, बहादुरपुर, सुषमा नगर, बहादुरपुर यूनिटी सिटी, भद्रेहापुर, गौरा बाग, गौराबाग बजरंग विहार, गौर बाग क्रिस्टन कॉलोनी, जहेरापुर, कल्याणपुर, अबरार नगर, कल्याणपुर गांधी नगर, कल्याणपुर नेहरू विहार, कल्याणपुर राजीव नगर, कल्याणपुर शिवानी विहार, कल्याणपुर केशव विहार, कमला नेहरू नगर, केशव विहार, खुर्रम नगर, खुर्रम नगर श्याम नगर, मयूर विहार, नंदनी कॉम्प्लेक्स कुर्सी रोड, पन्त नगर, फूल बाग कालोनी, साकेत का पुरवा, साकेत विहार, शादाब कालोनी।	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
80	इन्दिरा नगर बी-ब्लाक, सी-ब्लाक, डी-ब्लाक इन्दिरा नगर, सेक्टर 8,12,13,15,17,18 इन्दिरा नगर, मुंशीपुलिया, मुंशीपुरवा, पिक्निक स्पॉट रोड, प्राइम प्लाजा इन्दिरा नगर, सहारा ड्रेड सेन्टर, शहीद मार्केट इन्दिरा नगर, सिद्धार्थ मार्केट सेक्टर-15, सूर्या इनकलेव, टीका पुरवा, पुलसी प्लाजा, फैजाबाद रोड मेन रोड।	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.75	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
	लेखराज होम्स फैजाबाद रोड, सुरेन्द्र नगर आंशिक, इस्माइलगंज गाँव।	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
	ईश्वर पुरी, नन्दनी विहार।	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	
96	ए-ब्लाक इन्दिरा नगर आंशिक, फैजाबाद मेन रोड। अमरावती कालोनी, अवधपुरी, कुर्माचल नगर, लिबर्टी कालोनी आंशिक, मानस विहार, मुरारी नगर, सर्वोदय नगर, शक्ति नगर, ए-ब्लाक आंशिक।	2.25	2.00	0.75	2.00	1.75	0.75	1.75	1.50	0.60	0.60	0.40	0.30	
11	कुर्सी रोड मेन रोड। गुडम्बा आंशिक, मिश्रपुर आंशिक, सिमरा आंशिक, बरखुरदारपुर, बसहा, चॉदन रोड, दसौली, देवा रोड बायी पट्टी, धावा, गोयला, मोहमदपुर मजरा, नौबस्ता कला, रसूल सादात।	2.00	1.75	0.70	1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	0.45	0.35	0.25	
		1.75	1.50	0.60	1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.40	0.40	0.30	0.20	
		1.50	1.25	0.50	1.25	1.00	0.30	1.00	0.75	0.15	0.25	0.20	0.15	

जोन - 8											
श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई वार्ड - 1											
बरौना	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
कजेहरा	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
निजामपुरा	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
मङ्गाँव	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
हसनपुर खेवली	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
माडरमऊ कला आंशिक	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
माडरमऊ खुर्द आंशिक	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
चक कजेहरा	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
देवामऊ	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
घुसवल कलां अंसल, ललुमाल	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
मुजफ्फर नगर घुसवल, जी.डी.गोयना	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
युसुफ नगर	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
बिरुरा आंशिक	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
अहमामऊ	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
सेंवई	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड - 4											
आदर्श नगर	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
शाहीनूर कालोनी	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
नयी बस्ती	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
शकुरपुर	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
निलमथा बाजार	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
भगवंत नगर	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
दुर्गापुरी	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
कटहरी बाग	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
मलाक	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
सरसवाँ आंशिक	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
हरिहरपुर आंशिक	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
अहमामऊ आंशिक	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड - 3											
वृन्दावन योजना सेक्टर -1	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -2	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -3	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -4	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -9	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -10	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -11	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -12	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -13	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -14	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -15	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -16	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -17	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -18	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -19	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
वृन्दावन योजना सेक्टर -20	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
उत्तरठिया गाँव	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
विरुरा आंशिक	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20
कल्ली पश्चिम आंशिक	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
हैवतमऊ मवैया आंशिक	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40
न्यू डिफेन्स कालोनी	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
श्याम नगर			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
बरौली खलीलाबाद			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
हरिकंश गढ़ी			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
पुरसैनी आंशिक			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
राजा बिजली पासी प्रथम वार्ड - 6														
ट्रान्सपोर्ट नगर			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
मुंशी खेड़ा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
स्वरूप चन्द्र			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
खाजपुर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
सेक्टर-ओ			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-पी			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
मानसरोवर योजना			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
औरंगाबाद जागीर			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
औरंगाबाद खलसा एवं विस्तार			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
ओमेक्स सिटी			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
पुष्टेन्द्र नगर			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
शहीद नगर			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
रॉयल सिटी			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
चिलावाँ			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
गड्डौरा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
न्यू गड्डौरा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
बेहसा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
एयरपोर्ट कालोनी			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
छुहारा खेड़ा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
राजा बिजली पासी द्वितीय वार्ड - 5														
बिजनौर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
नटकुर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
शांति नगर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
त्रिमूर्ति नगर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
कंचनपुरी			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
रहीमाबाद			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
न्यू रहीमाबाद			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
हीरालाल नगर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
भवित खेड़ा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
पिनवट			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
गौरी आंशिक			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
विद्यावती प्रथम वार्ड - 64														
सेक्टर-ई			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-एफ			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-एफ विस्तार			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-एम			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-एम 1			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-एन			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-एन 1			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
किला मोहम्मदी			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
तोंदे खेड़ा आंशिक			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
विद्यावती द्वितीय वार्ड - 56														
सेक्टर - डी1			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर - डी1 व्यावसायिक क्षेत्र			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
डा. राममनोहर लोहिया लॉ का०आ.परि			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कोमल आइसक्रीम आसपास की गलियां	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
सेक्टर-जी	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
मदारी खेड़ा	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
बिरहाना खेड़ा	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
स्वरूप चन्द्र खेड़ा	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
बीएसएनएल कालोनी	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
विद्यावती तृतीय वार्ड - 60													
सेक्टर-एच आंशिक	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
ईडब्ल्यूएस कालोनी	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
पकरी खेड़ा	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
सेक्टर-जे	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
सेक्टर-आई	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
सेक्टर-एल	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
बंगला बाजार पश्चिम	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
बंगली गाँव	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15	
आशियाना सेक्टर -के	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
आशियाना सेक्टर- के1	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
स्मृति उपवन स्थल	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
शारदा नगर प्रथम वार्ड - 19													
भद्रख	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15	
पी0डब्ल्यूडी0	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
सिंचाई कालोनी आंशिक	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
मुराईन खेड़ा	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15	
एल्टिको-1	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रवि खण्ड	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
फिरंगी खेड़ा	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रश्मि खण्ड-1	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रश्मि खण्ड-2	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
त्यागी विहार	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15	
उसरी	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15	
सालेह नगर	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15	
रुचि खण्ड-1	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रुचि खण्ड-2	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रतन खण्ड	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रजनी खण्ड-1	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रजनी खण्ड-2	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रजनी खण्ड-3	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रजनी खण्ड-4	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रजनी खण्ड-5	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रजनी खण्ड-6	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रजनी खण्ड-7	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
रजनी खण्ड-8	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
तोंदे खेड़ा आंशिक	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15	
सैनिक नगर	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
सेनानी विहार	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
शारदा नगर द्वितीय वार्ड - 2													
शीतल खेड़ा													
हैवतमऊ मवैया	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
सरस्वतीपुरम	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
पी.जी.आई.	1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20	
अली नगर खुर्द	1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
अशरफ नगर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
रसूलपुर इत्तुरिया			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
इन्दौरा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
पुरसैनी (आंशिक)			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
कल्ली पश्चिम (आंशिक)			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
एल्डिको-2			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
साउथ सिटी			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
खरिका प्रथम वार्ड - 30														
सुभानी खेड़ा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
मोहारी बाग			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
घोसियाना			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
बंगाती टोला			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
ब्राह्मण टोला			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
नेपालगंज			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
गोपाल नगर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
राथिन्द्र नगर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
गांधी नगर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
नटखेड़ा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
बलदेव विहार			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
कुम्हार मंडी			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
डिफेन्स कालोनी			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सरपोट गंज			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
देवी खेड़ा			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
खरिका द्वितीय वार्ड - 29														
लौंगा खेड़ा			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
चमरही			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
भीम टोला			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
पसियाना			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
नाई टोला			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
रमजान नगर			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
शिव विहार			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
वृन्दावन योजना सेक्टर - 5			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
वृन्दावन योजना सेक्टर - 6			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
वृन्दावन योजना सेक्टर - 7			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
वृन्दावन योजना सेक्टर - 8			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
सिंचाई कालोनी आंशिक			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
चिरैयाबाग			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
हिन्द नगर वार्ड - 35														
हिन्द नगर			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-बी			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-सी			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-सी1			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
सेक्टर-डी			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
संभर खेड़ा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
रामगढ़ कालोनी			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
एयरपोर्ट कालोनी			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20
बल्दी खेड़ा			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
बरिगवाँ			1.50	1.25	0.50	0.25	1.25	1.00	0.30	0.20	1.00	0.75	0.20	0.15
सेक्टर-एच (आंशिक)			1.75	1.50	0.60	0.40	1.50	1.30	0.50	0.20	1.25	1.00	0.40	0.20

नोट : जिन मोहल्लों/क्षेत्रों/वार्डों का उल्लेख उपरोक्त सूची में नहीं है उनकी किराये की दरें सन्ति क्षेत्र मोहल्लों/क्षेत्रों/वार्डों की दरों के समान होगी।

नगर आयुक्त

नगर निगम, लखनऊ

जोन के अन्तर्गत वार्डों की सूची

क्र. सं.	वार्ड सं.	वार्ड का नाम	क्र. सं.	वार्ड सं.	वार्ड का नाम	क्र. सं.	वार्ड सं.	वार्ड का नाम
जोन-1 कार्यालय-लालबाग								
1. 33		लाल कुआं	14. 16		फैजुल्लागंज-चतुर्थ	13. 93		हुसैनाबाद
2. 34		हजरतगंज-रामतीर्थ	15. 84		कदम रसूल	14. 52		कहैया माधवपुर-प्रथम
3. 69		जे.सी. बोस	16. 91		विवेकानन्द पुरी	15. 38		कहैया माधवपुर-द्वितीय
4. 28		राजाराम मोहनराय	17. 110		अयोध्यादास-प्रथम	16. 85		मल्लाही टोला-प्रथम
5. 55		रानी लक्ष्मीबाई	18. 109		अलीगंज	17. 81		मल्लाही टोला-द्वितीय
6. 17		महात्मागांधी-विक्रमादित्य	19. 22		जानकीपुरम-तृतीय	18. 102		मौलाना कल्वे आबिद
7. 88		वसीरतगंज-गणेशगंज	जोन-4 कार्यालय-हुसड़िया					
8. 57		बाबू बनारसीदास	1. 59		काल्विन निशातगंज	19. 24		सहादतगंज
9. 95		मौलवीगंज	2. 70		पेपेमिल कालोनी	20. 07		माननीय लालजी टण्डन
10. 103		मसकगंज-वजीरगंज	3. 76		राजीवांधी	21. 09		माननीय कल्याण सिंह
11. 98		नजरबाग-यदुनाथसान्ध्याल	4. 62		रफीअहमद किदर्वई	22. 89		शीतला देवी
12. 87		गोलागंज	5. 50		चिनहट-प्रथम	जोन-7 कार्यालय-ठाकुरगंज		
जोन-2 कार्यालय-ऐशबाग			6. 66		चिनहट-द्वितीय	1. 07		शहीद भगत सिंह-प्रथम
1. 8		अखेड़कर नगर	7. 37		गोमती नगर	2. 08		लालबहादुर शास्त्री-प्रथम
2. 21		मालवीय नगर	8. 14		भरवारा मल्हौर	3. 27		इन्द्रेश प्रियदर्शनी
3. 26		ऐशबाग	9. 12		खरगापुर, सरसवां	4. 31		शंकरपुरवा-द्वितीय
4. 46		कुंवर ज्योति प्रताप	जोन-5 कार्यालय-चन्दन नगर					
5. 58		मोतीलाल नेहरू-चन्द्रभानगुप्त	1. 10		सरोजनी नगर-प्रथम	5. 52		इस्माइलगंज-प्रथम
6. 61		तिलक नगर-कुण्डरी रकाबगंज	2. 18		सरोजनी नगर-द्वितीय	6. 53		इस्माइलगंज-द्वितीय
7. 78		लेबर कालोनी	3. 36		केसरी खेड़ा	7. 57		बाबू जगजीवन राम
8. 79		राजाजी पुरम	4. 45		गुरुगोविन्द सिंह	8. 72		शंकरपुरवा-तृतीय
9. 90		राजेन्द्र नगर	5. 23		गुरुनानक नगर	9. 77		मैथलीशरण गुप्त
10. 104		अहियांगंज-नेताजी सुभाष चन्द्र	6. 25		बाबूकुंज बिहारी-ओमनगर	10. 86		लोहिया नगर
11. 107		राजाबाजार	7. 54		गीतापल्ली	11. 92		शंकर पुरवा-प्रथम
जोन-3 कार्यालय-कपूरथला			8. 65		चित्रगुप्त नगर	12. 80		इन्दिरा नगर
1. 31		जानकीपुरम-प्रथम	9. 41		रामजीलाल-सरदार पटेल नगर	13. 86		लालबहादुर शास्त्री-द्वितीय
2. 47		डालीगंज-निराला नगर	जोन-6 कार्यालय-ठाकुरगंज					
3. 49		महाकवि जयशंकर प्रसाद	1. 99		आचार्य नरेन्द्र देव	1. 01		श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी
4. 44		फैजुल्लागंज-द्वितीय	2. 32		आलम नगर	2. 04		इब्राहिमपुर-प्रथम
5. 63		अयोध्यादास-द्वितीय	3. 101		अम्बरगंज	3. 03		इब्राहिमपुर-द्वितीय
6. 58		फैजुल्लागंज-प्रथम	4. 105		कश्मीरी मोहल्ला	4. 06		राजाबिजली पासी-प्रथम
7. 74		जानकीपुरम-द्वितीय	5. 27		बालागंज	5. 05		राजाबिजली पासी-द्वितीय
8. 71		मनकामेश्वर मन्दिर	6. 116		चौक बाजार-कालीजी	6. 64		विद्यावती-प्रथम
9. 69		लालालाजपत राय	7. 108		भवानी गंज	7. 56		विद्यावती-द्वितीय
10. 75		भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र	8. 94		दौलतगंज	8. 60		विद्यावती-तृतीय
11. 53		महानगर	9. 99		गढ़ीपीर खां	9. 19		शारदा नगर-प्रथम
12. 82		त्रिवेणी नगर	10. 83		न्यू हैदरगंज-प्रथम	10. 02		शारदा नगर-द्वितीय
13. 73		फैजुल्लागंज-तृतीय	11. 39		न्यू हैदरगंज-द्वितीय	11. 30		खरिका-प्रथम
			12. 20		न्यू हैदरगंज-तृतीय	12. 29		खरिका-द्वितीय
						13. 35		हिन्द नगर



नगर निगम, लखनऊ

आवासीय एवं अनावासीय भवनों के सामान्य कर (हाउस टैक्स) की गणना हेतु दिशा-निर्देश

सामान्य कर (हाउस टैक्स) की गणना कैसे करें

1. स्व-कर निर्धारण फार्म पुस्तिका में छपे प्रारूपों (प्रपत्र-'क', 'ख', 'ग', तथा 'घ') की छाया प्रति या जोन कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्र का उपयोग करें। आवासीय भवन की दशा में "प्रपत्र-क" तथा अनावासीय भवन की दशा में "प्रपत्र-ग" का उपयोग करें।
- 1B. आवासीय भवन की दशा में प्रपत्र-क पर भवन एवं भूमि का विवरण अंकित करें अनावासीय भवन एवं भूमि (वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें, प्रतिष्ठान, बैंक, होटल, कोचिंग, क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथालोजी लैब, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, जिम, थियेटर, सिनेमागृह, छात्रावास, शैक्षणिक संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो, गोदाम, मॉल्स, पब्स बार, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, मैरिज लॉन, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रप, टावर व होर्डिंग वाले भवन, टी.वी. टावर दूरसंचार टावर इत्यादि) होने की दशा में प्रपत्र-'ग' पर भवन एवं भूमि का विवरण अंकित करें।
2. फार्म भरने से पूर्व दिशा निर्देश एवं समस्त कॉलम ध्यान पूर्वक पढ़ें।
3. भवन / भूखण्ड का नम्बर (नगर निगम / आवास विकास परिषद / विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त नम्बर) प्रयोग करें।
4. यदि भवन किराए पर उठा है तो निर्धारित कॉलम में इसकी सही सूचना दें तथा किराएदार का नाम अवश्य अंकित करें।
5. समस्त भवन स्वामियों / अध्यासियों से अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक कॉलम में सही सूचनाएं अंकित करें। कोई भी सूचना / तथ्य छिपाएँ नहीं अन्यथा रेण्डम जाँच में सूचना गलत पाए जाने एवं किराएदारी छिपाए जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित थाने को दे दी जाएगी तथा नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

आवासीय भवन के कर की गणना-

6. आवासीय होने की दशा में भवन के कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार करें :-
 - (अ) कमरे, ड्राइंग रूम, आच्छादित बरामदे का पूरा आन्तरिक क्षेत्रफल (लम्बाई \times चौड़ाई).....वर्ग फुट में
 - (ब) किचन, स्टोर, बालकनी, कॉरीडोर के आन्तरिक क्षेत्रफल (लम्बाई \times चौड़ाई) का 50%.....वर्ग फुट में
 - (स) गैराज के आन्तरिक क्षेत्रफल (लम्बाई \times चौड़ाई) का 25%.....वर्ग फुट में
 - (द) स्नानगृह, शैचालय, पोर्टिको, जीने से आच्छादित भाग की माप नहीं की जायेगी।

भवन का कुल कारपेट एरिया = अ + ब + स.....वर्गफुट
7. स्वकर निर्धारण हेतु कारपेट एरिया आधारित क्षेत्रफल, आच्छादित एरिया आधारित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत होगी।
8. निर्धारित मासिक किराया दर से कारपेट एरिया के योग को गुणा करें इसे 12 से गुणा करने पर वार्षिक मूल्य (**Annual Value**) प्राप्त होगा अर्थात्

आवासीय भवन का वार्षिक मूल्य = निर्धारित मासिक किराया दर \times भवन का कुल कारपेट एरिया \times 12

9. यदि आप भवन में स्वयं रहते हैं (**Self Occupied**) तो वार्षिक मूल्य (**AV**) में निम्न को घटाएं-
- (क)- दस वर्ष तक आयु वाले भवनों में वार्षिक मूल्य (**AV**) का (-)25%
 - (ख)- दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम आयु वाले भवनों में वार्षिक मूल्य (**AV**) का(-) 32.5%
 - (ग)- बीस वर्ष से अधिक आयु वाले भवनों में वार्षिक मूल्य (**AV**) का (-) 40%
10. यदि भवन किराये पर उठाया गया है (**Tenancy पर है**) तो उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य (**AV**) में जोड़ें-
- (क)- दस वर्ष तक आयु वाले भवनों पर 25 प्रतिशत अधिक होगा (+)25%
 - (ख)- दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना भवन है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा(+12.5%)
 - (ग)- बीस वर्ष से अधिक पुराना भवन है तो यथावत समझा जायेगा अर्थात् वार्षिक मूल्य में न तो कुछ घटाया जाएगा और न ही कुछ जोड़ा जाएगा।
11. (अ) अनावासीय भवन के कर की गणना-
- (क)- नगर आयुक्त द्वारा आवासीय भवन हेतु निर्धारित अद्यतन मासिक किराया दरप्रतिवर्ग फुट
 - (ख)- नियमावली के नियम-4-क के उप नियम (2) में दिए गए अनुसूची के अनुसार अनावासीय भवन के स्वरूप के आधार पर आवासीय भवन की दर के सम्बन्ध में गुणकगुना ($\times 1/2 / 3 / 4 / 5 / 6$)
 - (ग)- अनावासीय भवन का सभी तलों के क्षेत्रफल को मिलाकर कुल आच्छादित क्षेत्रफल (Covered Area)वर्ग फुट
- अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य = (क) \times (ख) \times (ग) \times 12
- (ब) अनावासीय उपयोग वाली भूमि के कर की गणना निम्नवत् करें-
- (क)- नगर आयुक्त द्वारा आवासीय भूमि हेतु निर्धारित अद्यतन मासिक किराया दरप्रतिवर्ग फुट
 - (ख)- नियमावली के नियम-4(क) के उप नियम (2) में दिए गए अनुसूची के अनुसार अनावासीय भूमि के उपयोग के आधार पर आवासीय भवन की दर के सम्बन्ध में गुणकगुना ($\times 1/2/3/4/5/6$)
 - (ग)-भूमि का क्षेत्रफलवर्ग फुट
- अनावासीय उपयोग वाली भूमि का वार्षिक मूल्य = (क) \times (ख) \times (ग) \times 12
- अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य
- (स)- अनावासीय परिसर का कुल वार्षिक मूल्य = + अनावासीय भूमि का वार्षिक मूल्य
12. सामान्य कर (गृह-कर) :- उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत समान्य कर होगा।
13. प्रोत्साहन: { (नियम 4-ग (6)} :-
- (घ) अनावासीय भवनों के वार्षिक मूल्य में 2% छूट हेतु निम्नलिखित सूचना दें-
- (i) क्या भवन में वर्षा जल संचयन की प्रणाली संस्थित है एवं प्रचलन में है (हाँ / नहीं)
 - (ii) क्या भवन एवं भूमि के कुल क्षेत्रफल का 40 % भाग वृक्षारोपण या हरियाली द्वारा आच्छादित है (हाँ / नहीं)

- (iii) क्या भवन एवं भूमि में समुचित एवं पर्याप्त पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध है (हाँ / नहीं)
- (iv) क्या भवन में ऐसा व्यापार / विनिर्माण या ऐसा कार्यकलाप होता है जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है (हाँ / नहीं)
- (v) यदि बिन्दु (iv) का उत्तर 'हाँ' है तो क्या प्रदूषणरोधी उपाय अपनाए गए हैं (हाँ / नहीं)

नोट:-(1) उपर्युक्त छूट उक्त बिन्दुओं में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता तथा उनके उचित रख-रखाव का सत्यापन करने के पश्चात वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान की जायेगी।
(2) उक्त बिन्दु (घ) में उल्लिखित ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य में 2 % की वृद्धि की जाएगी जिसमें उपरोक्तानुसार वर्षा जल संचयन / समुचित वृक्षारोपण हरियाली / समुचित एवं पर्याप्त पार्किंग / प्रदूषणरोधी उपाय न किए गए हों।

14. वित्तीय वर्ष समाप्ति अर्थात् 31 मार्च के उपरान्त गृहकर पर 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा।

15. शास्ति (Penalty):

यदि भवन स्वामी / अध्यासी द्वारा आवासीय एवं अनावासीय भवन हेतु क्रमशः "प्रपत्र-क" तथा "प्रपत्र-ग" में गलत विवरण प्रस्तुत किया गया अथवा किराएदारी छिपायी गई तो रुपया 15000.00 तक जुर्माना हो सकता है तथा 30 दिन विलम्ब की स्थिति में शास्ति का 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जाएगा। कम जमा किया हुआ कर उसी दिनांक से 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जायेगा।

16. भवन किराये पर देने / रिक्त होने / भवन में निर्माण / पुनर्निर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर आवासीय भवन की दशा में "प्रपत्र-ख" में तथा अनावासीय भवन की दशा में प्रपत्र-घ में एक नया विवरण साठ दिनों के भीतर जमा करें। ऐसा न करने पर अथवा इसमें किसी प्रकार की चूक करने पर सम्पत्ति कर की दुगनी धनराशि अथवा प्रतिदिन 500/- की दर से, जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करना होगा।

इन्टरनेट के माध्यम से गृहकर भुगतान सेवा

नेट बैंकिंग तथा डेबिट/क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन गृहकर भुगतान की प्रक्रिया

नेट बैंकिंग तथा **Debit/Credit Card** के माध्यम से गृहकर भुगतान हेतु लखनऊ नगर निगम ने आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के साथ अनुबन्ध किया गया है, जिसके अनुसार इन्टरनेट द्वारा नेट बैंकिंग एवं डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गृहकर का भुगतान किया जा सकता है।

भुगतान हेतु निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार है-

1. इन्टरनेट के माध्यम से गृहकर भुगतान हेतु गृहकर दाता को सर्वप्रथम **Net Payment** के लिए नगर निगम की वेबसाइट **lmc.up.nic.in** में रजिस्टर करना होगा।
2. नगर निगम की वेबसाइट **lmc.up.nic.in** में जाकर **Net Payment** पर Click करना होगा, Login page खुलेगा, रजिस्ट्रेशन हेतु "Click here to Register" पर Click करेंगे, रजिस्ट्रेशन Form खुलेगा उक्त **Registration Form** में सम्पूर्ण जानकारी भरकर "Submit" कर देंगे। रजिस्ट्रेशन Form में भरा जाने वाला पासवर्ड 10 Character का होना चाहिए, जिसमें Alphanumeric एवं Special Character होने आवश्यक है जिसका उदाहरण निम्नवत् है :-

उदाहरण स्वरूप-
User Name - ABCDE
Password - ab1234567\$
User Name- varun
Password - varun2004#

3. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Payment Gateway पर Click करेंगे, Login Page खुलेगा। Registration करते समय भरा गया यूजर नेम एवं पासवर्ड Login Page में भरा जायेगा तथा Security PIN (जोकि Website में दिख रहा होगा) डालना होगा।
4. User Name एवं Password पासवर्ड डालते ही गृहकर दाता का नाम Screen पर Display होगा।
5. तत्पश्चात् "**Pay Your House Tax**" पर Click करेंगे Click करते ही गृहकर दाता के गृहकर की सम्पूर्ण स्थित स्क्रीन पर आ जायेगी।
6. गृहकर भुगतान हेतु गृहकर दाता द्वारा भुगतान राशि Block में भरी जायेगी, फिर Net Banking अथवा Payment Gateway पर Click करना होगा। Net Banking पर Click करने पर एक Combo Box खुलेगा, जिस पर HDFC Bank, State Bank of India, Punjab National Bank and ICICI Bank की सूची Display होगी तथा Payment Gateway पर Click करने पर Debit/Credit Card के साथ 35 बैंकों की सूची आ जायेगी। गृहकर दाता जिस बैंक अथवा Debit/Credit Card Bharat bill pay system एवं upi को Select करेगा, वह उस बैंक की Site पर चला जायेगा तथा बैंक की Site से Block में भरी गयी धनराशि को Confirm कर गृहकर का भुगतान कर सकेगा।

भवन के नामान्तरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया ऑनलाइन

नगर निगम अभिलेखों में दर्ज भवन / भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाने, पंजीकृत विक्रय नामे (Registered sale deed) वसीयत, पंजीकृत दानपत्र (Registered gift deed) हिब्बा, तथा न्यायालय के आदेश इत्यादि के फलस्वरूप भवनों का नामान्तरण (म्यूटेशन) अनिवार्य है।

अतः नगर निगम सीमा में निवास करने वाले समस्त भवन एवं भूमि स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वह उक्त कारणों से भवन / भू-स्वामित्व में परिवर्तन होने की स्थिति में, निर्धारित नामान्तरण शुल्क जमा करा कर नगर निगम अभिलेखों में नाम परिवर्तन (म्यूटेशन) अवश्य करा लें। इससे अनेक प्रकार के विवादों एवं विसंगतियों से बचा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम के गृह-कर की रसीद अनेक विभागों में भवन स्वामी / अध्यासी एवं निवास के प्रमाण हेतु वैकल्पिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

नामान्तरण हेतु आवेदन सम्बन्धित जोनल कार्यालय में दाखिल किए जाने तथा निर्धारित नामान्तरण शुल्क जमा किए जाने के एक सप्ताह के अन्दर जोनल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पक्षों को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए उ. प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा - 213 (ख) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाता है। यदि एक माह में किसी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती तो नामान्तरण का अन्तिम आदेश पारित कर दिया जाता है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता / आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नामान्तरण आदेश पारित किया जाता है।

नागरिकों / भवन स्वामियों की सुविधा के लिए नामान्तरण हेतु आवेदन किए जाने की प्रक्रिया ऑनलाइन निम्नवत है। पलले LMCUP.NIC.IN खोलने के बाद उसमें हाउस म्यूटेशन पर क्लिक करके न्यू म्यूटेशन क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नम्बर एवं हाउस आई.डी. भरें और साप्टवेयर के निर्देशानुसार अगली प्रक्रिया करें।

नामान्तरण का कारण

1. दर्ज स्वामी की मृत्यु हो जाने के आधार पर
2. पंजीकृत विक्रयनामे के आधार पर
3. वसीयत
4. पंजीकृत दानपत्र (गिफ्ट डीड)
5. परिवारिक समझौते के आधार पर
6. न्यायालय के आदेशानुसार
7. हिब्बानामे के आधार पर

साक्ष्य

1. उत्तराधिकारी होने के नाते खानदानी सजरा, शपथ-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2. रजिस्टर्ड डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
3. वसीयत की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
4. गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
5. खानदानी सजरे एवं पारिवारिक समझौते की प्रमाणित प्रति के साथ शपथ-पत्र संलग्न है।
6. न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
7. शपथ-पत्र संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त एक फोटो पासपोर्ट साइज एवं आधार कार्ड की छाया प्रति नामान्तरण के साक्षों के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

ऑन लाइन एकीकृत नियन्त्रण केन्द्र - जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु एकीकृत व्यवस्था

लखनऊ नगर निगम में निगम द्वारा प्रदत्त की जा रही सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतों हेतु कोई एकीकृत व्यवस्था नहीं थी। नगर निगम के विभिन्न विभागों यथा अभियन्त्रण, स्वास्थ्य, जलकल आदि द्वारा अलग-अलग प्रकार से शिकायतों का अनुश्रवण किया जाता था जिससे इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों एवं प्रदत्त निराकरण से उच्च अधिकारी अवगत नहीं हो पाते थे।

अतः नगर निगम द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2014 को एक एकीकृत जनशिकायत केन्द्र (24×7) की स्थापना की गयी है। जो वर्तमान में स्मार्ट सिटी स्थित कार्यालय में नयी एकीकृत जनशिकायत व्यवस्था के अन्तर्गत शिकायतकर्ता <http://lmc.up.nic.in> अथवा <http://lnnpgrs.in> पर जाकर ऑन लाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। उक्त के अतिरिक्त टोल फ्री नम्बर 1533 तथा मोबाइल नं० 9219902914 पर कालिंग एवं व्हाट्सएस के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

शिकायतों के प्रकार :-

1. सफाई से सम्बन्धित।
2. पेयजल एवं सीवर से सम्बन्धित।
3. सड़क, नाली, पुलिया की मरम्मत से सम्बन्धित।
4. मार्ग प्रकाश से सम्बन्धित।
5. कर से सम्बन्धित - कर निर्धारण एवं नामान्तरण से सम्बन्धित।
6. अतिक्रमण से सम्बन्धित।
7. पशु सम्बन्धित - मृत पशुओं के निस्तारण, अवैध डेयरी एवं आवारा जानवरों से सम्बन्धित।
8. अन्य प्रकार की शिकायतें।

वेबसाइट के माध्यम से :-

वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने पर शिकायतकर्ता को अपना नाम, मकान नं०, मोहल्ला, शिकायत का विवरण मोबाइल नं० अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण देने के उपरान्त जैसे ही शिकायतकर्ता अपनी शिकायत सुरक्षित करेगा, उसके मोबाइल पर Unique docket no. पहुंच जायेगा, जो इस बात का द्योतक होगा कि शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज कर ली गयी है और इस Unique docket no. के आधार पर वह निर्धारित समय सीमा के पश्चात् अपनी शिकायत की स्थिति (Status) जान सकेगा।

दूरभाष के माध्यम से :-

दूरभाष टोल फ्री नम्बर 1533 तथा मोबाइल नं० 9219902914 पर कालिंग एवं व्हाट्सएस के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। इसमें भी शिकायतकर्ता को उसके मोबाइल नं० पर Unique docket no. मिलगा, जिसके आधार पर अपनी शिकायत की वस्तुस्थिति जान सकेगा।

सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली :-

ऑन लाइन अथवा दूरभाष के माध्यम से प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों का केन्द्र पर बैठे कर्मी द्वारा सत्यापन किया जाता है, शिकायत सही है अथवा नहीं अथवा एक ही शिकायत कई बार तो नहीं की गयी है। सत्यापन पश्चात् उसको सम्बन्धित अधिकारी के Dashboard में तथा मोबाइल पर SMS के माध्यम से शिकायत के सम्बन्ध में सूचित कर दिया जाता है। विभागाध्यक्षों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का स्वयं अनुश्रवण किया जाता है।

नगर निगम सीमा के अन्तर्गत सभी भवन स्वामी/भू-स्वामी अन्य शिकायतों के साथ-साथ गृहकर के निर्धारण/वार्षिक मूल्यांकन तथा भवन के नामान्तरण (म्यूटेशन) से सम्बन्धित शिकायत यदि कोई हो, तो उसे भी दर्ज करा सकते हैं।

सभी प्रकार की शिकायतों हेतु Citizen Charter के अनुसार समय सीमा निर्धारित है। शिकायत का निस्तारण हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वेबसाइट पर अपने User Name, Password से Login कर कृत कार्यवाही Update कर दी जाती है अथवा करा दी जाती है। शिकायतकर्ता को कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् SMS के माध्यम से इसकी सूचना भेजी जाती है। यदि शिकायतकर्ता कृत कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं है तो अपना फीडबैक वेबसाइट पर Docket no. डाल कर दर्ज करा सकता है। जिसका अनुश्रवण स्वयं अपर नगर आयुक्त एवं नगर आयुक्त स्तर पर किया जाता है।



नगर निगम, लखनऊ

प्रपत्र 'क' (नियम-7 देखिए)

आवासीय भवन हेतु सम्पत्ति कर स्वः - निर्धारण प्रपत्र (अधिनियम की धारा 207-क)

- क- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम
(तीन) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता :- भवन/मकान/फ्लैट/भूखण्ड संख्या.....
अपार्टमेण्ट एवं सड़क का नाम
मुहल्ले का नाम..... वार्ड का नाम.....
(चार) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता (यदि उक्त से भिन्न हो)
.....
(पाँच) भवन या भवन का कोई भाग किराये पर उठा है (हाँ/नहीं)
यदि भवन किराए पर उठा हो तो किराएदार का नाम

ख- निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी व्यौरा

- (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों
का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
(दो) समस्त बालकनी, कॉरीडोर, रसोई और
भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
(तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम
(वर्ग फुट में)

टिप्पणी :- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा
आच्छादित क्षेत्र कारपेट ऐरिया का भाग नहीं होगा।

ग- भवन का कारपेट ऐरिया :-

= ख (एक)+1/2 ख (दो)+1/4 ख (तीन) वर्ग फुट
अथवा

1. भवन का आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग फुट
2. आच्छादित क्षेत्रफल का 80 % = वर्ग फुट

टिप्पणी- आच्छादित क्षेत्रफल का 80 % कारपेट ऐरिया के समतुल्य माना गया है

- घ- (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)
(दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)

ङ- (क) भवन अवस्थित है।

- (i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर
.....

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

- (i) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी.छत सहित
- (ii) अन्य पक्का भवन, एस्बेस्टस / फाइबर या टीनशेड
- (iii) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

- (i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी :- कृपया उपर्युक्त (i), (ii) या (iii) के कालम में जो भी सही हो उसमें सही (✓) का निशान लगाये।

च- भवन या भूमि स्वामी द्वारा स्वयं अध्यासित है या किराये पर है

नोट: किराएदारी छिपाना गम्भीर अपराध एवं करापवंचन की श्रेणी में माना जाएगा।

टिप्पणी :- यदि भवन एक वर्ष से कम की अवधि से रिक्त है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि भवन एक वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त है तो उसे "रिक्त" उल्लिखित किया जायेगा।

छ- भवन के निर्माण का वर्ष

ज- (एक) नगर आयुक्त द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपये प्रति वर्गफुट।
 (दो) नगर आयुक्त द्वारा भूमि के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो तो रुपये प्रति वर्ग फुट।

झ- (एक) भवन का वार्षिक मूल्य = $12 \times$ नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भवन का कारपेट एरिया = $12 \times$ ज (एक) \times ग
 (दो) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो तो = $12 \times$ नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भूमि का क्षेत्रफल = $12 \times$ ज (दो) \times घ (दो)

ज- (एक) भवन स्वामी के स्वयं अध्यासित होने की दशा में भवन का मूल्य धारा 174 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात्

(दो) भवन के किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य, धारा 174 (2) (ख) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात्

द- भवन का सामान्य कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times सामान्य कर दर / 100 (15%).....

ठ- भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = झ (दो) में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य \times सामान्य कर की दर / 100 (15 %)

ड- नगर आयुक्त द्वारा कर जमा करने के लिए नियत दिनांक

ढ- जमा किये गये कर का विवरण :-

क्रम सं.	कर	धनराशि	दिनांक	रसीद संख्या	कार्यालय / जोन का नाम
1.	सामान्य कर				

● भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ/सड़क पर खड़े किए जाने वाले चार पहिया वाहनों की संख्या

सत्यापन - मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणक (साक्षी)

पूरा नाम

हस्ताक्षर

.....

नाम

स्थायी पता

पिता का नाम

.....

पूरा पता

पिन कोड

दूरभाष / मोबाइल नं.

ई-मेल



नगर निगम, लखनऊ

प्रपत्र 'ख'

(नियम- 3 देखिए)

आवासीय भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए

- क-** (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम
 (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम
 (तीन) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता :- भवन/मकान/फ्लैट/भूखण्ड संख्या.....
 अपार्टमेण्ट एवं सड़क का नाम
 मुहल्ले का नाम..... वार्ड का नाम.....
 (चार) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता (यदि उक्त से भिन्न हो)

 (पाँच) भवन या भवन का कोई भाग किराये पर उठा है (हाँ/नहीं)
 यदि भवन किराए पर उठा हो तो किराएदार का नाम

ख- निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी व्यौरा

- (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों
 का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
 (दो) समस्त बालकनी, कॉरीडोर, रसोई और
 भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
 (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम
 (वर्ग फुट में)

टिप्पणी :- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा
 आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग- भवन का करपेट एरिया :-

= ख (एक)+1/2 ख (दो)+1/4 ख (तीन)

- घ-** (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है
 (वर्ग फुट में)
 (दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई
 भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)

ङ- (क) भवन अवस्थित है।

- (i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

- (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति
- (i) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी.छत सहित
 - (ii) अन्य पक्का भवन, एस्बेर्टस/फाइबर या टीनशेड
 - (iii) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और
 (दो) में आच्छादित नहीं है।

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

(i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी :- कृपया उपर्युक्त (i), (ii) या (iii) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही (✓) का निशान लगाये।

च- भवन या भूमि स्वामी द्वारा स्वयं अध्यासित है या किराये पर है.....

नोट: किराएदारी छिपाना गम्भीर अपराध एवं करापवंचन की श्रेणी में माना जाएगा।

टिप्पणी :- यदि भवन / भूमि एक वर्ष से कम की अवधि से रिक्त है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि भवन / भूमि एक वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त है तो उसे “रिक्त” उल्लिखित किया जायेगा।

छ- भवन के निर्माण का वर्ष

● भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ/सड़क पर खड़े किए जाने वाले चार पहिया वाहनों की संख्या

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये व्यौरे मेरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणक (साक्षी)

पूरा नाम

हस्ताक्षर

.....

नाम

स्थायी पता

पिता का नाम

.....

पूरा पता

पिन कोड

दूरभाष/मोबाइल नं.

ई-मेल



नगर निगम, लखनऊ

प्रपत्र 'ग' (नियम-7 देखिए)

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

- क-** (एक) स्वामी / अध्यासी का नाम
 (दो) स्वामी / अध्यासी के पिता / पति का नाम
 (तीन) भवन / भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता :-
 भवन / भूखण्ड संख्या सड़क का नाम
 मुहल्ले का नाम वार्ड का नाम
 (चार) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता (यदि उक्त से भिन्न हो)
 (पाँच) अन्य विवरण यदि कोई हो
 (छ:) यदि भवन या भवन का कोई भाग / भूमि किराए पर उठा हो तो किराएदार का नाम
2- भवन या भूमि सम्बन्धी ब्यौरा
 (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
 (दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
 (तीन) अनावासीय भवन / प्रतिष्ठान / कार्यालय / संस्थान का प्रचलित नाम
3- अवस्थिति का विवरण-
 (क) भवन या भूमि अवस्थित है-
 (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति
 (एक) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित
 (दो) अन्य पक्का भवन, एस्बेस्टस / फाइबर या टीनशेड
 (तीन) कच्चे भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं।
 टिप्पणी: कृपया प्रयोज्य खाने में सही (✓) का निशान लगायें।
4- भवन निर्माण का वर्ष
5- पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष
6- वार्षिक मूल्य की गणना
 अनावासीय सम्पत्ति का स्वरूप / विवरण
 (क) अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य :
 (एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराया का मासिक दर प्रति वर्गफुट
 (दो) अनावासीय सम्पत्ति के स्वरूप के आधार पर नियमावली द्वारा विहित (अनुसूची में उल्लिखित)
 आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक गुना
 (तीन) अनावासीय भवन हेतु प्राप्त किराये का मासिक दर { (एक) × (दो) } प्रति वर्गफुट
 (चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (सभी तलों सहित) वर्गफुट
 (पाँच) भवन का वार्षिक मूल्य = किराये की मासिक दर × आच्छादित क्षेत्रफल × 12
 अर्थात् (तीन) × (चार) × 12
 ● अथवा भवन का वार्षिक मूल्य = (एक) × (दो) × (चार) × 12

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य-

- (एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भूमि हेतु नियत किराये की मासिक दर प्रति वर्गफूट
 (दो) भूमि के उपयोग के आधार पर नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक गुना
 (तीन) भूमि { (एक) \times (दो) } के लिए प्राप्त किराये की मासिक दर प्रति वर्गफूट
 (चार) भूमि का क्षेत्रफल वर्गफूट
 (पाँच) भूमि का वार्षिक मूल्य = किराये का मासिक दर \times आच्छादित क्षेत्रफल \times 12
 अर्थात् (तीन) \times (चार) \times 12

(ग) कुल वार्षिक मूल्य = भवन का वार्षिक मूल्य + भूमि का वार्षिक मूल्य अर्थात् क (पाँच) + ख (पाँच)

प्रोत्साहन: (नियम 4-ग (6) :-

(घ) अनावासीय भवनों के वार्षिक मूल्य में 2% छूट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित सूचना दें-

- (i) क्या भवन में वर्षा जल संचयन की प्रणाली संस्थित है एवं प्रचलन में है.....(हाँ / नहीं)
 (ii) क्या भवन एवं भूमि के कुल क्षेत्रफल का 40 % भाग वृक्षारोपण या हरियाली द्वारा आच्छादित है.....(हाँ / नहीं)
 (iii) क्या भवन एवं भूमि में समुचित एवं पर्याप्त पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध है.....(हाँ / नहीं)
 (iv) क्या भवन में ऐसा व्यापार / विनिर्माण या ऐसा कार्यकलाप होता है जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है.....(हाँ / नहीं)
 (v) यदि बिन्दु (iv) का उत्तर 'हाँ' है तो क्या प्रदूषणरोधी उपाय अपनाए गए है.....(हाँ / नहीं)

नोट:-

- (1) उपर्युक्त छूट उक्त बिन्दुओं में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता तथा उनके उचित रख-रखाव का सत्यापन करने के पश्चात वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान की जायेगी।
 (2) उक्त बिन्दु (घ) में उल्लिखित ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य में 2% की वृद्धि की जाएगी जिसमें उपरोक्तानुसार वर्षा जल संचयन / समुचित वृक्षारोपण हरियाली / समुचित एवं पर्याप्त पार्किंग / प्रदूषणरोधी उपाय न किए गए हों।

7- कर की गणना

- (एक) सामान्य कर (गृहकर) - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य का 15%
 (दो) जल कर - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य का 12.5%
 (तीन) सीवर कर - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य का 3%
 (चार) अन्य कर (कर का नाम) - यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times कर की दर

8- जमा किये गये कर का विवरण-

क्र.सं.	कर का नाम	कर की धनराशि	रसीद संख्या	दिनांक	कार्यालय / जोन का नाम
1	2	3	4	5	6
	सामान्य कर				

● भवन स्वामी / अध्यासी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ / सड़क पर खड़े किए जाने वाले चार पहिया वाहनों की संख्या सत्यापन

मैं वार्ड के मुहल्ला में स्थित

भवन सं0 का स्वामी / अध्यासी एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक	हस्ताक्षर
अनुप्रमाणक (साक्षी)	पूरा नाम
हस्ताक्षर
नाम	स्थायी पता
पिता का नाम
पूरा पता	पिन कोड
.....	दूरभाष / मोबाइल नं.



नगर निगम, लखनऊ

प्रपत्र 'घ' (नियम-3 देखिए)

अनावासिक भवन के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर निर्धारण प्रपत्र

क- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम

(तीन) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता :- भवन/भूखण्ड संख्या.....

सड़क का नाम

मुहल्ले का नाम..... वार्ड का नाम.....

(चार) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता (यदि उक्त से भिन्न हो)

(पाँच) यदि भवन या भवन का कोई भाग/भूमि किराये पर उठा है तो किराएदार का नाम.....

2. भवन या भूमि का विवरण.....

(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)

(दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)

(तीन) अनावासीय भवन/प्रतिष्ठान/कार्यालय/संस्थान का प्रचलित नाम.....

3- अवस्थिति का विवरण-

(क) भवन या भूमि अवस्थित है-

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

(एक) पक्का भवन, आर.सी.सी छत या आर.बी छत सहित

(दो) अन्य पक्का भवन, एस्बेस्टस, फाइबर या टीनशेड

(तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं।

टिप्पणी : कृपया प्रयोज्य खाने में सही (✓) का चिन्ह लगायें।

4- भवन निर्माण का वर्ष

5- पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष

● भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा भवन के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ/सड़क पर खड़े किए जाने वाले चार पहिया वाहनों की संख्या

सत्यापन

मैं वार्ड के मुहल्ला.....

..... में स्थित भवन सं. का स्वामी / अध्यासी एतद
द्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये व्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक	हस्ताक्षर
अनुप्रमाणक (साक्षी)	पूरा नाम
हस्ताक्षर
नाम	स्थायी पता
पिता का नाम	पिन कोड
पूरा पता	दूरभाष / मोबाइल नं.